हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 29 फरवरी, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्नकाल आरम्भ

तारांकित प्रश्न

29.2.2016/1400/TCV/DC/1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः श्री महेन्द्र सिंह जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही दिन, जिस दिन विधान सभा का सत्र शुरू हुआ था, नियम-67 के अन्तर्गत प्रदेश से जुड़ी हुई एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आर्किषत किया था कि "प्रदेश में सेबों के बगीचे लगातार काटे जा रहे हैं ।" सेबों के बगीचे भी उन किसानों और बागवानों के काटे जा रहे हैं, जिनके पास 10 बीघा से भी कम ज़मीन है और कुछ तो ऐसे किसान/बागवान हैं जिनके पास 2-2 या 3-3 बीघा से भी कम ज़मीन पर सेब के पौधे लगे हैं।

दूसरे, प्रदेश में कुछ ऐसे भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास न तो अपनी भूमि है, उन्होंने अपने घर बनाये थे और उनको बिजली और पानी के कनेक्शन मिले थे, वे काटे जा रहे हैं। जिसके कारण प्रदेश के अन्दर ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। वे लोग जाएं तो जांए कहा? मैंने नियम-67 के अन्तर्गत विनम्र प्रार्थना की थी कि आज के लिए जो सदन का बिज़नेस हैं, उसको सस्पेंड किया जाये और प्रदेश में जो सेब के बगीचों को काटा जा रहा है, उस पर सदन चर्चा करें। जिन घरों के बिजली और पानी के कनैक्शन काटे जा रहे है, उस पर यह सदन चर्चा करें। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में एक स्टेट्मैंट दी थी कि 10 बीघे या 10 बीघे से कम जिनके बगीचे हैं और यदि उनके मकान बने हुए हैं तो उनके बिजली और पानी के कनैक्शन न काटे जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बावजूद आपकी स्टेट्मैंट के लगातार पूरे प्रदेश के अन्दर बिजली और पानी के कनैक्शन काटे जा रहे हैं और जो छोटे बागवान हैं, उनके बगीचे काटे जा रहे हैं।

अध्यक्षः प्लीज, प्लीज यदि आप लम्बी बात न करें । आपने मैटर बता दिया है और मैं इसका जवाब दूगां। आप अखबार पढ़ने लगेंगे तो It will take time.

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मेरा मैटर आज का नहीं हैं, मैंनें मैटर दिनांक 25 फरवरी, 2016 को दिया हुआ है। आज 29 तारीख है और 25 तारीख और 29 तारीख के बीच 4 दिन का समय हो गया है। यदि 4 दिन के अन्दर भी हमें समय न मिले तो नियम-67 के अन्तर्गत प्रदेश के किसी भी विषय को इस विधान सभा में प्रस्तुत करने का क्या औचित्य होगा? इस विषय के बारे में मैंने आपके चैंबर में भी आपसे आग्रह किया था। आपने कहा था कि यह मैटर सब-ज्यूडिस है। अगर सब-ज्यूडिस मैटर को लें तो हर मामला न्यायालय में लम्बित है। हमें लोगों ने इस हाऊस के अन्दर इसलिए चुनकर भेजा हैं कि यदि उनके के साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, किसी प्रकार से उनके अनदेखी हो रही है, तो यह सदन सुप्रीम है और इस सदन में उस विषय के बारे में चर्चा की जाये। इस सदन में चर्चा करने के बाद अच्छे सुझाव एडवोकेट जनरल के पास जा सकते हैं। वह उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर माननीय हाईकोर्ट ने इस विषय पर कोई संज्ञान लिया है, तो माननीय हाईकोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है। ताकि हिमाचल प्रदेश के बागवानों का ध्यान रखा जा सके। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो पहचान है, वह सेबों की वज़ह से हैं। एक ओर माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि कोई भी ज़मीदार अपनी जमीन पर खड़े हरे वृक्ष को नहीं काट सकता है। दूसरी तरफ वही न्यायालय कहता है कि सेब के पौधों को काट दिया जाये । इसलिए यह एक चिन्ता का विषय है।

अध्यक्षः आपने यहां मैटर पुटअप किया है। आप उसका जवाब सुनिए। आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं उसके लिए अलॉउ नहीं करूंगा। मान्य सदन में आपने जो यह मैटर रेज़ किया है, इससे आप ही नहीं, बल्कि सारा सदन चिंतित है और हिमाचल प्रदेश के लोग भी चिंतित है । यह बात हम सब जानते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि यह सारा मैटर हाईकोर्ट में चला हुआ है। हाईकोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले भी आर्डर किया था कि इस सारे मामले पर तीन महीने के अन्दर ऐक्शन लिया जाये। जब तक यह मैटर सब-ज्यूडिस है, हम लोग सदन में उस पर चर्चा नहीं कर सकते । इसकी जो रेमेडी निकालनी है, उसके बारे में सरकार को जानकारी है। यदि हाईकोर्ट का फैसला पक्ष में

नहीं आएगा तो उसके बाद सरकार

29.2.2016/1400/TCV/DC/3

सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। क्योंकि यह मैटर सब-ज्यूडिस है, इसलिए आपने नियम-67 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव दिया था, मैंने उसको रिजैक्ट कर दिया है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा प्रश्न---- जारी

29.02.2016/1405/RKS/DC/1

अध्यक्षः Please don't make any statement. आप स्टेटमैंट कर रहे हैं, मैं आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। आपने यहां पर मैटर पुटअप किया है, आप उसका जवाब सुनिए। आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। यह मेरी रिक्वेस्ट है। आपने जो मैटर इस मान्य सदन के सम्मुख लाया है उसका उत्तर सुन लीजिए। मान्य सदन ने एक प्वाईंटर रेज किया है, उससे आप ही नहीं बल्कि सारा सदन चिंतित है। हिमाचल प्रदेश के लोग भी चिंतित है। यह हम समझते हैं। ये सारा मैटर हाईकोर्ट में चला हुआ है। हाईकोर्ट ने अभी परसों ऑर्डर किया था कि इस मामले में 3 महीने में एक्शन लिया जाएगा। यह मामला सबज्यूडिश है इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते। दुसरी बात यह है कि जो इसकी रेवन्यू निकालनी है वह सरकार को भली-भान्ति पता है कि क्या करना है? जब कोर्ट का फैसला होगा, उसके बाद सरकार दूसरे कोर्ट में भी जा सकती है। लेकिन यह मामाला सबज्यूडिश होने के कारण हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए इस मामले को नियम-67 में नहीं लिया गया है। जितने भी मामले सबज्यूडिश होंगे वे सब रिजैक्ट हो जाएंगे। कृपया आप सुरेश भारद्वाज जी को बोलने दीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय महेन्द्र सिंह जी ने जो नाटिस नियम-67 के अंतर्गत दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दिया हुआ है। । आपने दलील दी कि कोर्ट जब फैसला करेगी उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तब तक तो पेड़ कट जाएंगे, तब तक तो

कुछ भी नहीं रहेगा। जब जनता ही नहीं रहेगी, पेड़ ही नहीं रहेंगे, काम ही नहीं रहेगा, तो उसके बाद इस सदन का क्या काम रहेगा? जो सरकार ने पोलिसी बनाने के लिए एक कमेटी निश्चित की थी और उस कमेटी को फैसला करना चाहिए। अगर कमेटी फैसला नहीं करती, तो यह हाउस है। एग्जेक्टिव हाउस के प्रति जवाबदेह है। आजकल हर मैटर सबज्यूडिश है। हर आदमी एक एपलिकेशन दे देता है और उसके बाद पी.आई.एल. हो जाती है। कोर्ट सुओ मोटो मैटर ले लेती है और वे सबज्यूडिश बन जाते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो इस हाऊस में बैठने का हमारा क्या औचित्य रह जाता है। क्योकि हम किसी भी चीज पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। हर मामला कोर्ट में है। हर मैटर चाहे वह प्रश्न है, चाहे कोई दूसरी बात है, समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि हम इस विषय पर चर्चा किस नियम के अन्तर्गत करें और कब करें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आप इस हाऊस के कस्टोडियन हैं। आपको हमारे को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर हम कोई मैटर

29.02.2016/1405/RKS/DC/2

जनता के हित में उठाए तो उस मैटर को जनहित में उठाया जाना चाहिए। इन मामलों को उठाने की कोर्ट में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं बार-बार कह रहा हूं कि लेजिस्लेचर, सबज्यूडिश मान लेती है और एग्जेक्टिव कुछ नहीं करती। इसलिए कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। जो इलैक्टिव लोग है वे कुछ करते नहीं हैं और नॉमिनेटिड लोग अपना फैसले देते रहते हैं। इसलिए इसका समय निर्धारित कीजिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मुझे एक बात कहनी है, मुझे यह कहना है कि जो हमारे लॉ ऑफ दी लैंड है उसमें जो हमारी ज्यूडिश्यरी है, एग्जेक्टिव है, जो फैसला एग्जेक्टिव और गवर्नमेंट मशीनरी करती है। उस बारे में कोई अग्रीवड हो तो कोर्ट में जाता है और कोर्ट का निर्णय उस बारे में फाइनल होता है। अब उसकी लीगल रेमेडी आपको करनी चाहिए। हम भी उसके बारे में चिंतित हैं। लेकिन जो चीज ऑलरेडि कोर्ट में है और वह अभी डिसाइडिड हो रही है और आपके सामने कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया है कि यह तीन महीने के अंदर करना है तो उसकी रेमेडी लीगल रेमेडी करनी चाहिए। आप कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई नहीं कर सकते हैं।

29.02.2016/1405/RKS/DC/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज स्थितियां जिस चौराहे पर खड़ी हैं, वहां हमें निर्णय करना होगा कि लेजिस्लेचर ने क्या करना है, एग्जिक्यूटिव ने क्या करना है, ज्यूडिश्यरी ने क्या करना है? यदि हम अपनी जिम्मेदारी से, अपने दायित्व से इस तरह भागते रहेंगे तो निश्चित ही .....(व्यवधान).....

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी....

29.02.2016/1410/SLS-AG-1

प्रोO प्रेम कुमार धूमल .....जारी

. . . (Interruption) . . . You have allowed me and I am not yielding. . . . (Interruption) . . . I have not yield, Sir. अगर सरकार या लैजिस्लेचर ज्यूडिसरी के नाम से भागते रहेंगे तो ज्यूडिसरी और ज्यादा हॉबी होगी। जिस बात की चर्चा हम-सब करते हैं कि बाहर से इंटरफियरैंस होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? परसों भी जब चर्चा हुई थी, तब यह बात उठी थी कि हर मामले में जब कोर्ट सम्मन करता है तो ऑफिसर्ज़ दौड़े-भागे फिरते हैं। आज हर चीज ज्यूडिसरी इंटरप्रैट कर रही है। आपने ठीक कहा कि लैजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्युटिव जो करती है, ज्यूडिसरी उसको इंटरप्रैट करती है। इसलिए निर्णय तो सरकार के स्तर पर होना है। अगर हम एक्ट में ढंग से अमैंडमैंट कर दें, अगर वह ठीक होगी तो ज्यूडिसरी उसको सैट-असाइड नहीं कर सकती। दिक्कत यह आ रही है कि जो बड़े बागवान हैं, जिनके कारण यह समस्या खड़ी हुई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो छोटा बागवान है, जो 10 बीघे से कम वाला है, उसके फलदार बगीचे काटे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब एक सेव का बगीचा फल देने लायक बनता है, उसे तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं। जो वृक्षों को काटने वाला आदेश है; मान लो सरकार की भूमि पर किसी ने

नाजायज कब्जा किया है तो वह सरकार में निहित होनी चाहिए। गवर्नमैंट उस ज़मीन को बगीचे के साथ टेक ओवर करे। उसकी रवैलिटी ले, उसको ठेके पर दे या जो भी करना है वह करे। जब मौक़ा उसको खत्म करने का आए तो दूसरे पौधे लगाकर उसको खत्म कर सकते हैं; वहां फोरैस्ट बने। यह नीति यहां पर तय होगी, कोर्ट यह तय नहीं करेगा। कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार तो उन पौधों को काट दो। क्या पौधों को काटना कोई इसका हल है? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बहुत बड़ी बात यह हो रही है कि नाजायज कब्जे के नाम पर लोगों के बिजली और पानी के कनैक्शन्ज भी काटे जा रहे हैं और यह राजनीतिक आधार पर हो रहा है। दल विशेष के लोगों को टारगेट करके यह हो रहा है। हमारे लोगों को टारगेट करके उनके बिजली और पानी के कनैक्शन्ज काटे जा रहे हैं। इसलिए इस बात का लोगों में बहुत आक्रोश है। हम चाहते हैं कि ऐसे

29.02.2016/1410/SLS-AG-2

छोटे बागवानों को राहत मिले और बड़ों को सजा मिले। इसलिए हम आपसे निवदेन करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि इस विषय पर चर्चा हो। पिछले सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, इसका समाधान ढूंढ़ेंगे। समाधान यह सदन ढूंढ़ेगा, सरकार उस समाधान को हाईकोर्ट को बताएगी और जनता को भी राहत देगी । इस पर आप आज चर्चा करना चाहें तो आज कर लें या नियम-130 में चर्चा अलौ करें ताकि समस्याएं सबके सामने आ जाए और सरकार उसमें अपना प्वायंट ऑफ व्यू लेकर निर्णय ले। सरकार प्रदेश हित में निर्णय लेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय महेश्वर सिंह जी। ...(व्यवधान)... माननीय मुख्य मंत्री जी, आप कहें। The Leader of the House has a right to speak anytime. . . . (Interruption) . . . Please sit down for some time and listen to him.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बात विपक्ष के नेता माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने

कही है, मैं उससे सहमत हूं। मेरा और इस सरकार का हमेशा यह मत रहा है कि जो लोगों ने नाजायज तरीके से सरकारी भूमि पर वृक्ष लगाए हैं उनमें जो छोटे लोग हैं, 10 बीघे से कम एनक्रोचमैंट वाले जो लोग हैं, उनके साथ कुछ और बर्ताव होना चाहिए और जो बड़े कब्जाधारी हैं, जिन्होंने बड़े रकबे में नाजायज कब्जा करके बगीचे लगाए हैं, पहले उन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस मत का हूं। जो छोटे लोग हैं, उनको हम और तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा, उनको ठेके पर बगीचा दिया जा सकता है या किसी और कंडिशन पर दिया जा सकता है। गरीब आदमी अगर अपनी रोजी-रोटी के लिए कोई फसल बीजता है या वृक्ष लगाता है, हम उसको महज कानून दिखाकर उस रोजी-रोटी से वंचित नहीं कर सकते। मेरा यह मत है।

जारी... श्री गर्ग जी

29/02/2016/1415/RG/AG/1

मुख्य मंत्री----क्रमागत

और जैसा प्रो. प्रेम कुमार धूमल साहब ने कहा है मैं इनकी राय से सौ फीसदी सहमत हूं और इस सरकार की यह राय आज नहीं, पहले से है। बल्कि जब यह मामला हमारे सामने आया कि जो छोटे-छोटे किसान-बागवान हैं उनके बगीचे काटे जा रहे हैं, तो सरकार ने अपने तौर पर उस पर कार्रवाई की है। हमने वन विभाग के अधिकारियों एवं अन्य को बुलाया और पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके ऊपर यहां चर्चा हो जाएगी। Government has no objection. In fact, we will welcome it. लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई समय निर्धारित कर लीजिए।

अध्यक्ष : श्री महेश्वर सिंह जी, आप क्या बोलना चाहते थे?

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और नेता, प्रतिपक्ष ने भी कहा और आसन का यह कहना है कि यह सब-जुडिस मैटर है। अध्यक्ष महोदय, यह मैटर उस दिन भी सब-जुडिस था जब मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर यह कहा था कि इसके लिए पॉलिसी तैयार कर दी जाएगी और फिर हाई कोर्ट से आग्रह किया जाएगा। तो पॉलिसी बनाने से पहले अगर इस माननीय सदन में इस पर

चर्चा हो जाए और सबके विचार लिए जाएं, तो मुझे लगता है कि वह ज्यादा सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए चर्चा करने में कोई हर्जा नहीं है। कृपया इसकी अनुमति देनी चाहिए। क्योंकि यह विषय उस दिन भी सब-जुडिस था जब पॉलिसी की अनॉउन्समेंट हुई थी।

अध्यक्ष : मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, इससे मैं भी ऐग्री करता हूं, लेकिन इस पर चर्चा करने से कोई सफलता नहीं मिलेगी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो हाई कोट्र्सया कोट्र्स के डिसीजन हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : आप पहले मुझे सुन लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। You should have the patience to listen to me. मेरी बात आप लोग सुन लीजिए, उसके पश्चात आप बोलिए।

29/02/2016/1415/RG/AG/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। कृपया आप बैठिए, आप गलत बात न करें। कृपया , एक सैकण्ड आप बैठिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। मैं आपको समय दूंगा। ऐसा है कि जब कोई कोर्ट का डिसीजन होता है, that is operative on everybody और यह वैल-इस्टाबिलिस्ड लॉ है कि जो executive और legislature है उसका कोर्ट फैसला लेती है और जब कोर्ट ने फैसला लिया है, तो उसकी एक ही रैमेडी है कि या तो हायर कोर्ट से उसका रिलीफ लें या उसका कोई रिलीफ लें या कोई ऐसी हाई कोर्ट में रिव्यु पिटीशन करें उसको रोकने के लिए, लेकिन आप अगर फैसला भी करेंगे, तो ठीक नहीं और अभी 8 तारीख को इस पर हाई कोर्ट ने केस रखा हुआ है। अगर वे कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? How can you stop it? आप कोर्ट के फैसले को कैसे रोक सकते हैं? यहां पर आप कितनी भी चर्चा कर लें, आप हाई कोर्ट के फैसले को कैसे रोकेंगे जब वे 8

तारीख को इस पर फैसला कर देंगे? It means that you have to go to the higher court also. या फिर कोई लीगल रिलीफ लेना पड़ेगा।----(व्यवधान)----धूमल साहब, आप बोलिए।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री ने सुझाव को मान लिया और चर्चा पर सारा सदन सहमत है, तो आप हाई कोर्ट की क्या वकालत कर रहे हैं? आप हमारे वकील हैं। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे वकील हैं, हमारे संरक्षक हैं। आप मेरी बात सुनिए। सरकार जो निर्णय करेगी, उसमें अगर सबकी चर्चा के बाद राय आने के बाद ये निर्णय लेते हैं, उसको हाई कोर्ट के सामने रख दें कि हमने यह कानून बनाया है, तो उसको हाई कोर्ट चेन्ज थोड़े ही कर देगा।

Speaker: That is the only procedure. वह तो हो सकता है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : सर, ऐसा है कि Speaker speaks the least.

अध्यक्ष : मैं और क्या कह रहा हूं।

29/02/2016/1415/RG/AG/3

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : कि जो कनवेंशन है कि स्पीकर सबसे कम बोलते हैं। इसलिए आप हमारी बात सुना करिए और फिर निर्णय किया करें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि छोटे किसान-बागवान को राहत मिलनी चाहिए और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। आप इसी सप्ताह इनका नियम-62 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले लें, उसमें भी इनकी बात आ सकती है। इस विषय पर क्योंकि सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसमें सभी के क्षेत्र शामिल हैं, तो 8 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब बजट पेश करेंगे उसके बाद नियम-130 के अन्तर्गत भी इस पर चर्चा करा दें क्योंकि 9, 10 एवं 11 तारीख को कोई और चर्चा नहीं

होगी। तो ये सारी बातें हैं, आप खुले मन से चर्चा कराइए। यह लम्बा सत्र है, तो उसी प्रकार से काम करने दीजिए।

अध्यक्ष : नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री जयराम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि मैं आपको (मुझे) बाद में बोलने के लिए समय दूंगा।

एम.एस. द्वारा जारी अध्यक्ष महोदय शुरू

29/02/2016/1420/MS/AS/1

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप मुझे बोलने के लिए समय देंगे।

अध्यक्षः हां बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुरः अग्निहोत्री जी, आप बैठ जाइए। आपकी तरफ से सरकार का पक्ष आ गया है।

अध्यक्षः जय राम ठाकुर जी आप बोलिए। क्या बोलना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस विषय में हमें समाधान की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

Speaker: Yes, this is the position.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इसमें विलम्ब भी नहीं होना चाहिए। जो भी करना है उसको जल्दी करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर सरकार इस पर कार्रवाई करके रिपोर्ट तलब करे। मुझे लगता है कि जब नीति बनाने की बात यहां पर इस मान्य सदन में की गई थी जैसे आदरणीय महेश्वर सिंह जी ने बात कही, तब भी यह मैटर सब-ज्युडिस था। जब माननीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय धूमल जी ने कहा है कि वे एक-दूसरे की बात से सहमत हैं तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी करना है, जैसे यदि नीति की बात आती है तो उस पर निर्णय जल्दी करना चाहिए। अगर राहत देने की मंशा दिल से

सत्ता पक्ष की है तो इस पर जल्दी-से-जल्दी निर्णय करने की आवश्यकता है ताकि जिसको राहत देने की गुंजाइश है, उनको वह मिले। अभी जिक्र किया जा रहा है कि बड़े लोगों को छोड़कर के जो छोटे-छोटे गरीब लोगों के बिजली और पानी के कनैक्शन काटे जा रहे हैं, जिनके पास एक-दो बिस्वा या एक-दो बीघा में सेब का बागीचा लगा है तो उनके पेड़ काटने की अगर नौबत आ गई तो मुझे लगता है कि उनको राहत देने की यदि मंशा है तो उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है और इसीलिए यह चर्चा बहुत आवश्यक है और चर्चा के बाद समाधान की तरफ भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यानी निर्णय पर पहुंचकर जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे जल्दी करना चाहिए।

29/02/2016/1420/MS/AS/2

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का इस बारे में क्या कहना है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी चिन्तित है और सारा सदन भी चिन्तित है। हम इस हक में है Ofcourse, we are living in a parliamentary democracy. Parliamentary democracy rests on three pillars Legislature, Executive and Judiciary. Legislature is here to legislate the law for the State, Executive is there to implement it and Judiciary is there to interpret it. But our judiciary is transgressing the limits. So, I think there is no harm if we discuss important matters on the floor of the House. There can be very good suggestions from both sides and Government will be able to frame policy according to the wishes of the House. So, I think, you should allow this discussion under Rule-130 and Government is ready to reply it.

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि सदन के नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज चर्चा शुरू हो रही है और यह चर्चा पांच दिन तक चलेगी। सरकार चाहती है कि उससे पहले आप नियम 63 के तहत शॉर्ट डिस्क्शन करवा लें।

अध्यक्षः नियम 130 के तहत या नियम 63 के तहत चर्चा करवानी है?

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नियम 63 के तहत दो घण्टे की चर्चा करवा लें।

अध्यक्षः मैंने जो पहले बात कही थी-(व्यवधान)- just a minute. आप लोग सुन लीजिए। ऐसा है जो ज्युडिशरी ने फैसला किया है, पहले आप नियम 67 के तहत किसी ऐक्ट पर चर्चा मांग रहे थे। चर्चा का मतलब है कि You could have criticized the decision also. मैं आपसे यह कहना चाहता था कि in short term कि जैसा आप कह रहे हैं इसके प्रिवेंटिव आप डिस्कस कीजिए। नियम 67 के तहत चर्चा का मतलब है कि you may criticize the decision of the High Court, which is not allowable. मैं चाहता हूं कि आप प्रिवेंटिव चर्चा कीजिए कि कैसे उस चीज को प्रिवेंट किया जाए। Either you are going to the Supreme Court or you are going to approach the High Court for review यह मेरा कहने का मतलब था। And no criticism of the decision of the High Court is to be discussed here. मेरा कहने का यह मतलब था। I can allow this discussion under Rule-63.

29/02/2016/1420/MS/AS/3

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नियम 63 के तहत चर्चा कर ली जाए।

अध्यक्षः नियम 63 के तहत ठीक है। प्रो0 धूमल जी क्या बोलते हैं?

Prof. Prem Kumar Dhumal: Sir, we have no objections. Let the discussion be held today itself on this important issue. We can start discussion on Governor Address tomorrow. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कल शुरू कर लेंगे। आज इस पर चर्चा कर लेते हैं।

Speaker: There is Supplementary Budget to be passed tomorrow.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः ठीक है उसको पास करने के बाद शुरू कर लेंगे।

Speaker: Now question hour begins.

प्रश्नकाल शुरू श्री जे0के0 द्वारा-----

29.2.2016/1425/जेएस/एएस/1

प्रश्नकाल आरम्भ

प्रश्न संख्याः 2364

श्री विक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है इस सूचना को लेते हुए मुझे तीन साल हो गए हैं। लेकिन जो सूचना आज सभा पटल पर रखी है ये आंकड़ें बिल्कुल गलत है। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि इसमें होर्टिकल्चर डिपार्टमैंट की बिल्डिंग्ज हैं, महिला मण्डल है, युवक मण्डल है, पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है, सोसाईटीज हैं, रेन शैल्टर्ज हैं, आंगनवाड़ी भवन है, उप-स्वास्थ्य केन्द्र है, गवर्नमैंट मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की बिल्डिंगे हैं। लेकिन जो सूचना मैंने मांगी थी उसका इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ मेरे जिला चम्बा की सूचना इसमें दी हुई है। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि एक डलहौजी का है, बनीखेत का भू-संरक्षण विभाग का है, एक रायपुर, एक सिहुंता,थुलैल, मैहला और पांच सौ प्राईमरी स्कूल जिला चम्बा में हैं जिनके नाम पर आज तक भूमि नहीं है। इसकी समस्या हमें इसलिए आ रही है कि जब भी शौचालय या भवन में अतिरिक्त कमरों के लिए हम पैसा देते हैं, वह पैसा वहां पर खर्च नहीं हो रहा है। जिस एजैंसी को पैसा दिया जाता है वह एजैंसी कहती है कि पहले कागजात यानि खतौनी और खसरा नम्बर लाओ, उसके बाद हम यह कार्य शुरू करेंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि बाकी जो भी दूसरे भवन है उनके नाम पर चाहे स्कूल है या कोई दूसरी बिल्डिंग है, उनके नाम पर उस पैसे को अतिशीघ्र करें ताकि जो हमारे ये संस्थान हैं उनका उत्थान हो सके। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग्ज भी नहीं हैं। उनका तो इसमें नाम भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि विभाग को आदेश दिए जाएं कि और इसके ऊपर तुरन्त गौर किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो क-भाग में प्रदेश में विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1577 ऐसे सरकारी कार्यालय भवन है। हमने सभी विभागों को लिखा था कि आप बताएं कि कौन-कौन सी जगह पर एंट्री नहीं है और आप एंट्री के लिए कदम उठाएं। हमने 1577 उसमें

29.2.2016/1425/जेएस/एएस/2

स्कूलों के नाम सबकुछ हमने दिये। पहले 9 जुलाई, 1991 को हमने दिशा-निर्देश दिए थे कि डी.सी. ढाई बीघा जमीन तक के अपने रिकॉर्ड कर सकते थे । डिविजनल कमिशनर के पास 5 बीघा और उससे ऊपर सरकार के पास केस आते थे। अभी हमने 9 फरवरी, 2016 को जो नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं उसमें डी0एफ0ओ0 को भी एक हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर करने की इज़ाजत है, सेंक्शन करने की इजाज़त है। डी0सी0 को भी एक हेक्टेयर, डिविजनल कमिशनर को डेढ़ हेक्टेयर और डेढ़ हेक्टेयर से ऊपर ट्रांसफर के केसिज सरकार को आएंगे। यह ठीक है कि अभी यह डिस्कस हुआ है । कुछ हमारे प्राईमरी स्कूल वर्ष 1980 से पहले चले हुए हैं। कुछ मिडिल स्कूल भी चले हुए हैं जिन पर फोरैस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट लागू नहीं होगा। हमने जिलाधीशों को कहा है और जो उप-निदेशक(शिक्षा) है, उनको जिलाधीशों को एप्लिकेशन देनी चाहिए थी कि ये नाम हमारे रिकॉर्ड में नहीं हुआ है, यह स्कूल के नाम पर ही जमीन रिकॉर्ड होगी। जिलाधीश को अथोराईज्ड कर दिया गया है। एक हेक्टेयर जमीन, सवा 12 बीघा जमीन वह स्कूल के नाम पर कर सकता है या दूसरी जो संस्था जिसके नाम पर नहीं हुआ है, उसके मुताबिक कर सकते हैं। यह मैं मानता हूं कि हो सकता है कि विभिन्न विभागों से बार-बार लिखने के बाद ये आंकड़े हमारे पास आए है और जिनके नाम भी हमने यहां पर निश्चित तौर पर दिए हैं। हो सकता है इसमें कुछ विभागों ने सूचना न भेजी होगी। हमने सभी विभागों को हिदायत दे दी है कि अगर आपके नाम जमीन नहीं है तो आप जिलाधीश को इसके लिए एप्लाई करें और जिलाधीश एक हेक्टेयर तक जमीन ट्रांसफर कर सकता है।

श्री विक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, जो कार्यालय है, स्कूल हैं और दूसरे संस्थान हैं उनका पत्राचार कई सालों से चल रहा है किन्तु वे हो ही नहीं रहे हैं

अध्यक्ष श्री एस.एस. द्वारा जारी------

29.02.2016/1430/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 2364 क्रमागतः

अध्यक्षः क्या डिप्टी कमिश्नर को एप्लाई किया है?

श्री बिक्रम सिंह जरयाल क्रमागतः हां, सर। एक मिडल स्कूल गोदरा है, मैं उसका मामला कई दिनों से उठा रहा हूं। कोई 14 साल से बच्चे बाहर पढ़ रह हैं। कई दिनों पहले मैंने उसकी फॉर्मैलिटीज़ खुद पूरी करके भेजी हैं। डिप्टी डायरैक्टर स्कूल को भेजता है, स्कूल वाले डी0सी0 साहब को भेजते हैं और पता नहीं डी0सी0 साहब के दफ्तर से कागज़ कहां चले जाते हैं। इसलिए मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि कृपया जल्दी-से-जल्दी डिप्टी कमिश्नर या फॉरैस्ट के जो डी0एफ0ओज़0 हैं जिनको अधिकृत किया गया है कि एक हैक्टेयर तक भूमि ट्रांसफर कर सकते हैं उन्हें आदेश दिए जाएं ताकि सभी विभागों/कार्यालयों को इस समस्या से निज़ात मिल सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर ख (4) में आप पढ़ेंगे तो 15.2.2016 को राजस्व विभाग की सभी विभागाध्यक्षों को चिट्ठी चली गई है कि अगर आपके नाम पर और दफ्तर के नाम पर कोई कार्य हो रहा है तथा उसके नाम पर कोई जमीन नहीं है और आप अपने नाम पर जमीन करवाना चाहते हैं, आपके दफ्तर बन चुके हैं तो हमने कहा है कि वे रिस्पैक्टिव डिप्टी कमिश्नर को एप्लाई करें। अगर जमीन एक हैक्टेयर से ज्यादा है और डेढ़ हैक्टेयर से कम है तो डिवीजनल कमिश्नर को एप्लाई करें और अगर जमीन उससे ज्यादा है तो केस डिप्टी कमिश्नर से गवर्नमैंट को आयेगा और गवर्नमैंट उसमें एप्रूवल दे देगी, उसमें कोई अन्य प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रश्न समाप्त

29.02.2016/1430/SS-DC/2

प्रश्न संख्याः 2472

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, गत धर्मशाला सत्र में मैंने यह प्रश्न पूछा था और केवल तीन महीने (1.8.2015 से 7.11.2015 तक) की सूचना मांगी थी। परन्तु खेद का विषय है कि अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सरकार तीन मास में इकट्ठा नहीं कर सकी। जिस प्रकार का आज जंगली जानवरों, बंदरों और विशेषकर कुत्तों ने आंतक मचाया है कोई भी होस्पिटल ऐसा नहीं है जहां इनसे घायल हुए लोग न पहुंचे हों। चाहे शिमला में देखें या कहीं और जगह, हर रोज़ घायल किये हुए लोग कतारों में इंडोर और आउटडोर पेशैंट के रूप में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो नीति तैयार नहीं है इसलिए मंत्री जी डिले कर रहे हैं। क्योंकि जब कुत्ता काटता है या बाघ काटता है भगवान् न करे अगर वह गम्भीर रूप से घायल होता है तो उसकी वैक्सीन कसौली में तैयार की जाती है, जिसकी कीमत 20 और 25 हजार होती है। वह लोगों को खरीदनी पड़ती है तब जाकर वह वैक्सीन लगती है। इसके शिकार एक ओ0एस0डी0 हो चुके हैं। क्या आप मंत्री और विधायकों का इस प्रकार से घायल होने का इंतजार कर रहे हैं या इसके पीछे क्या कारण हैं? क्या इस प्रश्न का इसी सत्र में जवाब आयेगा?

दूसरा प्रश्न दो भागों में है। इसमें कुत्तों, सांडों, गायों और जंगली जानवरों के बारे में पूछा गया है। कहीं आप ऐसा न कहें किआप दूसरा भाग पशुपालन विभाग से पूछिये। आप दोनों का उत्तर देंगे ऐसी मुझे आशा है।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात से चिन्तित हैं उससे सारा सदन चिन्तित है। मगर माननीय सदस्य ने इतनी विस्तृत जानकारी मांगी है जोकि सभी विभागों से संबंधित है और वह सूचना एकत्रित की जा रही है। **अगर ये स्पैसिफिक प्रश्न फॉरैस्ट डिपार्टमैंट के बारे में करें तो हम उसका जवाब इसी सत्र में तुरन्त दे देंगे। लेकिन सभी विभागों से सूचना आनी है जोकि हमारे साथ कंसर्निंग डिपार्टमैंटस नहीं हैं। हमने जिलाधीश महोदयों को भी लिखा है और अन्य डिपार्टमैंटस को भी लिखा है। जैसे ही इंफोरमेशन आ जायेगी उसके मुताबिक हम डिटेल्ड इंफोरमेशन इनको दे देंगे।**

29.02.2016/1430/SS-DC/3

अध्यक्षः माननीय धूमल जी कुछ पूछना चाहेंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विभाग से संबंधित ही पूछना चाहता हूं। बन्दरों के कारण जो लोगों को दिक्कत आ रही है, मानसून सत्र में यह मामला उठा था। तब मैंने पूछा था कि क्या भारत सरकार ने आपको पत्र लिखा है..

जारी श्रीमती के0एस0

29.02.2016/1435/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या 2472 जारी----

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी---

कि क्या भारत सरकार ने आपको पत्र लिखा है कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जहां पर बन्दर बहुत खतरनाक हो गए हैं ताकि उनको वर्मिन डिक्लेयर किया जा सके? जहां तक मुझे याद है, आपने उत्तर दिया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और अक्तूबर तक हो जाएगी। कल से मार्च का महीना शुरू हो रहा है। क्या आपने भारत सरकार के पत्र का उत्तर दे दिया है कि इन-इन क्षेत्रों में मानव जीवन के लिए ये खतरा बन गए हैं? मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में जहां बन्दरों का नसबन्दी केन्द्र भी चल रहा है, वहां पर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बस्ते खोलकर वे उससे टिफ़िन छीन लेते हैं। महिलाएं खेतों में काम करने नहीं जा पा रही है। बहुत भयंकर स्थिति हो गई है और मैंने तब भी आपसे निवेदन किया था कि आप और कहीं नहीं तो शिमला और हमीरपुर में तो इनको वर्मिन डिक्लेयर कर दो। हम मानते हैं कि हमारे यहां खतरा है। क्या मंत्री महोदय, आपने भारत सरकार को यह सूची दे दी है कि कौन-कौन से स्थान हैं जहां बन्दर खतरनाक हो गए हैं?

दूसरे, क्या आप शिमला और हमीरपुर को बन्दरों की दृष्टि से खतरनाक क्षेत्र डिक्लेयर करके उनको वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए भारत सरकार को रिकमैंड करेंगें?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे पूज्यनीय धूमल साहब ने फर्माया कि पिछले सत्र में हमने यह प्रश्न किया था। उसके मुताबिक हमने हाऊस में

29.02.2016/1435/केएस/डीसी/2

कमिटमैंट की थी कि अक्तूबर तक उनकी गिनती कर दी जाएगी और जहां-जहां सैंसिटिव प्लेसिज़ हैं, जैसे हमीरपुर है, शिमला है या प्रदेश के अन्य भाग हैं उन सबका हमने अक्तूबर में सर्वे कम्पलीट कर दिया है और अभी हाल ही में मैंने इस सम्बन्ध में विभाग से पूछा है। उन्होंने बुकलैट तैयार की है ।उसके मुताबिक भारत सरकार को वर्मिन घोषित करने के लिए लिखा गया है और इसके अलावा जैसे एक्सपैरिमैंट बेस पर हम पहले विदेशों में भेजते थे, उसके लिए भी हमने केन्द्र सरकार से रिक्वैस्ट की है कि उनको बाहर भेजा जाए। इसके अलावा जितने हमारे बन्दरों के नसबन्दी केन्द्र हैं, उनमें मेल और फिमेल का ऑप्रेशन करके सारे प्रदेश में जितने हमने ये नसबन्दी केन्द्र खोले हैं, उनमें हम वन वाटिकाएं बनाने जा रहे हैं। वह नैचुरल हैबिटेंट होगा। जंगल में ही होगा उसकी फैंसिंग की जाएगी। उसमें उनके खाने-पीने का भी प्रबन्ध किया जाएगा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस हाऊस में ही कमिटमैंट की थी, एक कमेटी गठित की थी उसमें पक्ष और विपक्ष के सदस्य शामिल किए गए थे तो मा0 मुख्य मंत्री जी से मैंने रिक्वैस्ट की है कि उस कमेटी के सुझाव लिए जाएं कि वे क्या चाहते हैं, क्या पॉज़िटिव रिस्पाँस देते हैं और उसके मुताबिक फरदर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं ताकि यह जो बन्दरों ने आतंक फैलाया हुआ है, उससे प्राण बचाए जा सके। और जितने आतंकी बन्दर हैं, उनके लिए विभाग को आदेश दिए गए हैं कि उनको दल सहित पकड़ कर, यह नहीं कि उनकी फैमिली के किसी एक को पकड़ लो, इससे वे उग्र हो जाते हैं, उनके पूरे ग्रूप को पकड़ा जाए और उसके मुताबिक उनको वन वाटिका में

29.02.2016/1435/केएस/डीसी/3

डाला जाए न कि उनको ऐसे ही छोड़ा जाए। और हमने आपसे जो वायदा कि जो

बन्दरों की नसबन्दी केन्द्रों में नसबन्दी करते हैं, कुछ लोगों का विरोध था कि उनको जहां से लाते हैं वहां की बजाय दूसरे जंगलों में छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है, उसमें हमने पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया है और जहां से लाते हैं वहीं पर उनको छोड़ा जाता है। जो वन वाटिकाएं बनाने जा रहे हैं नौ के नौ मंकी स्टैरेलाईजेशन सैंटर्ज़ में हम ये वन वाटिकाएं खोलने जा रहे हैं। उनमें ऑप्रेशन करेंगें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.2.2016/1440/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 2472-------- क्रमागत

वन मंत्री---- जारी

उसमें ऑपरेशन करेंगे और वन वाटिका में डालेंगे। नेचुरल हैबिटेट होगा और उनको वहां पर खाने-पीने का प्रबंध भी करेंगे। किसानों और बागवानों की फसलों का बचाव तभी होगा और उनको रिलीफ मिलेगा। इमिजियेट रिलीफ तो यही हो सकता है। इनकी आबादी भी स्टरलाईजेशन के बाद कम हुई है, उसके बारे में हम हाऊस में सूचना दे सकते हैं।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने इनको वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए भारत सरकार को जो पत्र लिखा है क्या आप उसकी कॉपी सदन के पटल पर रखेंगे? दूसरा, आपने कहा कि ऐक्सपोर्ट होते थे। नेशनल लैवल पर जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है प्रधान मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। दस साल तक डॉ. मनमोहन सिंह जी और अब पौने दो साल श्री नरेन्द्र भाई मोदी को हो गये हैं; कोई मीटिंग नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण मैं यह मानता हूं कि जो वाइल्ड लाइफ के लिए एन.जी.ओज. बनी हुई हैं वह इसको भी क्रूएलिटी मानते हैं कि आप ऐक्सपैरिमैंट के लिए जानवरों को बाहर भेजते हैं। मुझे कोई सम्भावना नहीं

लगती कि अब कोई ऐक्सपोर्ट करेगा। (---व्यवधान---) मैं यह जानना चाहूंगा कि हाई कोर्ट की तरफ से मंकी कलिंग का जो स्टे मिला हुआ है तथा जिसके बारे में पिछली बार भी यहां पर आश्वासन दिया हुआ है; क्या उसको दूर करने के लिए सरकार हाई कोर्ट से रिक्वैस्ट करेगी? पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में काफी समय बीत गया है। इस बारे में जो केस वहां प्लीड किया है या विभाग / सरकार की तरफ से कोर्ट में रखा गया है क्या आप उसकी कॉपी भी सदन के पटल पर रखेंगे?

29.2.2016/1440/av/ag/2

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, धूमल साहब ने जो दो क्वैरी लगाई है, विभाग ने इन दोनों से सम्बंधित कार्रवाई की है। हाई कोर्ट से जो रिक्वैस्ट की है तथा जो दूसरी कार्रवाई की है इन दोनों की कॉपी सदन के पटल पर ले कर दी जायेगी।

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, जंगली सांड का मसला बहुत ही गम्भीर है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी दो घूम रहे हैं। अभी-अभी फिलहाल (---व्यवधान---) यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और आप लोग इसको लाइटली मत लीजिए। तीन दिन पहले नूरपुर चुनाव क्षेत्र में एक औरत को बहुत बुरी तरह से घायल किया है। वह अस्पताल में है और अपनी जिन्दगी के लिए जूझ रही है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि सरकार उसको क्या मुआवजा दे सकती है? वह बहुत ही गरीब परिवार से सम्बद्ध रखती है। यह मसला जब नुरपूर में हुआ तो मेरे पास लोग आए। मैंने डी.एफ.ओ. से बात की है। इनको पकड़ना आसान नहीं है, इसका कोई-न-कोई हल निकालना पड़ेगा। बाकियों को तो इंजैक्शन इत्यादि से मार सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसका हल निकालने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह क्वैशचन पोस्टपोन क्या हुआ यह तो पूरा जवाब ही हो गया लेकिन I am ready to give answer to this question. जहां तक सांड की बात हो रही है यह ऐनिमल हसबैंडरी से जुड़ा हुआ मामला है और -----

श्री टी सी द्वारा जारी

29-02-2016/1445/TCV/DC/1
प्रश्न संख्याः 2472 ---- क्रमागत
श्री वन मंत्री --- जारी
यह ऐनिमल हज़बैडरी से जुड़ा हुआ मामला है। सांईटिफिक -वे से बाकायदा उनको पढ़ा जाता है और फिर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद प्रदेश में जो गोसदन खुले हुए हैं, उसमें पकड़कर उसको रखा जाता है।

अध्यक्षः मंत्री जी प्रोसिज़र नहीं पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या ऐक्शन लिया है?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, श्री महाजन जी ने जो सैप्लीमेंटरी की है वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। अध्यक्ष जी, यह प्रश्न श्री वीरेन्द्र कंवर जी का दिनांक 26-2-2016 को भी लगा था। ऊना जिला में एक परिवार के तीन सदस्य सांडो के द्वारा मार दिए गए। यह दिनांक 26-2-2016 को लगे प्रश्न के जवाब में दिया है। इसमें पूछा गया था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? उसके 'ख' भाग में जो जवाब दिया गया था, वह यह था कि तीन आदमियों के खिलाफ़ एफ0आई0आर0 लोज़ दर्ज की है, जिसमें दो हमीरपुर के और एक ऊना से हैं। साथ में पूछा था कि इनको क्या मुआवज़ा दिया गया? पशुपालन मंत्री महोदय का जवाब था कि मुआवज़ा कोई नहीं दिया गया है। ये ठीक है, आपने जवाब दे दिया है और इसमें सारे-का सारा कवर भी हो गया है। लेकिन यदि आप शिमला से चम्बा तक चलेंगे तो आपको सड़क पर सांडों का मेला हर शहर में लगा मिलेगा। एक्सीडेंट्स होते हैं और आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हो रही है। मेरा यह कहना था कि क्या प्रदेश के अन्दर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन सांडों को गोसदन में पहुंचाएंगें,? दूसरे, नूरपुर में जो एक हादसा हुआ, जिसमें तीन लोग शहीद हो गए, क्या आपको उनको मुआवज़ा देंगे तथा क्या-क्या मुआवज़ा देंगे, क्या ये माननीय मंत्री (वन मंत्री) जी बताएंगे?

वन मंत्रीः ऐसी दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए सरकार ने मुआवजा देने का प्रावधान

रखा है। सारे जंगली जानवार/पशु जो नुकसान करते हैं, सरकार उसका लोगों को मुआवज़ा देती है। पहले यह कम दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसका मुआवजा पहले की अपेक्षा चार गुणा कर दिया गया है। इसके बारे में

29-02-2016/1445/TCV/DC/2

बेहतर माननीय पशुपालन मंत्री ही बता पाएंगे। जब यह डिपार्टमैंट मेरे पास आएगा तो मैं गहन विचार करके उसके ऊपर गौर फरमाउँगा।

अध्यक्षः अजय महाजन जी आप कुछ पूछना चाहते हैं?

अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। मैंने प्रश्न पूछा था कि एक औरत जो अपनी जिन्दगी के लिए अस्पताल में लड़ रही है और बहुत ही गरीब परिवार से है, उसको क्या मुआवजा मिलेगा? लेकिन माननीय वन मंत्री जी ने यह प्रश्न पुशपालन मंत्री की ओर कर दिया और इसका कोई सही जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, हमें जवाब चाहिए कि हम उस गरीब औरत की क्या मद्द कर सकते है?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय की ओर से सभी डिपार्टमैंट को हिदायत देंगे कि ऐसी मिस-हैप्निंग कभी नहीं होनी चाहिए। I will request the Hon'ble Chief Minister. He will do it.

मुख्य मंत्रीः सांडों के आक्रमण के बाद अगर किसी को चोट आई है, तो निश्चित रूप से आप सरकार को लिखिए। उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। उनके इलाज़ का खर्चा भी सरकार देगी।

श्री आर0के0एस0 द्वारा प्रश्न----जारी

29.02.2016/1450/RKS/AS/1

प्रश्न संख्याः 2614

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी सीर खड्ड की चैनेलाइजेशन का प्रश्न हर वर्ष मैं इस मान्य सदन में रख रहा हूं और हर प्लानिंग की मीटिंग में मैंने इस प्रश्न को उठाया है। लेकिन जो जवाब मुझे मिल रहा है वह बिल्कुल होचपोच सा मिल रहा है। हर बार अलग सा जवाब मिलता है। इसका शिलान्यास माननीय पूर्व मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने अक्तूबर, 2012 में रखा था। लेकिन अक्तूबर,2012 के बाद 3-4 साल हो गए, लेकिन यह समस्या वहीं की वहीं है। सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। मैं समझता हूं कि इस काम के लिए सरकार पूरी तरह से मौन बैठी है। सी.डब्ल्यू.सी के साथ पत्राचार करने के लिए सरकार ने 3-4 साल लगा दिए हैं। उस एरिया में बहुत ही अलारमिंग स्थिति बनी हुई है। सीर खड्ड पूरी तरह से गांव के अंदर चली गई है। वहां के दो गांव बिलकुल डैंजर जोन में हैं और आगामी बरसात में वहां कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस समस्या की ग्रेविटी को सरकार समझ नहीं पा रही है। सीर खड्ड अब हरि गांव और टांडा गांव के बीच जाने वाली है। वहां हर साल सैंकड़ों बीघा जमीन सीर खड्ड की बजह से नष्ट हो रही है और यह सरकार के इनएक्शन की वजह से खराब हो रही है। जब इसके लिए शिलान्यास रख दिया है, तो जो मामूली सा पत्राचार सरकार ने सी. डब्ल्यू. सी के साथ करना है उसमें बार-बार क्वारी क्यों आ रही है? जैसा मुझे इस जवाब में बताया गया है कि 4 करोड़,80 लाख रुपये वर्ष 2015-16 के लिए मंजूर हुए हैं, तो उस पैसे से मैं समझता हूं कि जहां-जहां डैंजर जोन है, जहां जहां बरसात में नुक्सान होने का अंदेशा है, वहां-वहां जाकर के वायर क्रिएट लगाए जाएं। क्या सरकार यह काम करेगी? मैं समझता हूं कि इस काम को वार फूटिंग में करना चाहिए। परन्तु सरकार ने 3 साल में तो कुछ नहीं किया, अब 3 महिनों में तो यह काम कर दीजिए। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में आश्वासन देंगे?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

29.02.2016/1450/RKS/AS/2

मानीनीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा, वह मैं आपको फिर से समझाना चाहती हूं, बताना भी चाह रही हूं। इस योजना की प्रासंगिक व व्यय अनुमोदित स्वीकृति दिनांक 19.09.2012 को 62 करोड़, 46 लाख, 41 हजार रुपये की प्रदान की गई है। इसकी लम्बाई 15, 150 मीटर है। खड्ड के दोनों तरफ की भूमि 115 हैक्टयर है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि भूमि संरक्षण के तटीयकरण के लैफ्ट बैंक की लम्बाई 45.20 और 7, 510 रनिंग मीटर्ज में है। इसके राइट बैंक की लम्बाई 59.80 और 7,080 रनिंग मीटर्ज में हैं। इनका कुल जोड़ 115.0 हैक्टयर और 15,150 रनिंग मीटर्ज है। हमारे पास जो भी काम पहला आता है हम उसको प्रायोरटी में करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और उस काम को करना हमारा कर्त्तव्य भी है। सीर खड्ड के तटीयकरण का कार्य जिसमें चन्द्ररूही से जाहू तक का क्षेत्र आता है, उसमें सी.डब्ल्यू.सी.(सेंटर वाटर कमीशन) भारत सरकार से अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। हम इसकी स्वीकृति के लिए उन पर प्रैशर डालने की कोशिश करेंगे। चन्द्रमुखि के पुल के पास खेतों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए स्पर लगाने के कार्य का प्रावधान उपरोक्त डी.पी.आर. के आधार पर किया गया है। डी.पी.आर. की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को दिनांक 1.04.2014 को पत्र भेजा गया था। जिस पर कुछ आपत्तियां दिनांक 4.04.2014 को लगाई गई जिनका निवारण दिनांक 26.07.2014 को कर दिया गया है। उसके बाद कुछ आपत्तियां दिनांक 7.04.2015 को लगाई गई, जिनका निवारण करके भारत सरकार को दिनांक 08.02.2016 को भेज दी गई है।

श्री एस.एल.ए. द्वारा जारी.....

29.02.2016/1455/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 2614.. क्रमागत

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री.....जारी

उसके उपरांत कुछ और आपत्तियां दिनांक 07.04.2015 को लगाई गईं जिनका निवारण करके भारत सरकार को दिनांक 08.02.2016 को पत्र भेज दिया गया है। वर्ष 2015-16 में इस कार्य हेतु 4.80 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। कार्य भारत सरकार से अभी तक स्वीकृति प्रदान न होने के कारण आरंभ नहीं किया गया। यह हमारी स्थिति है। हम भारत सरकार से फंड्ज मांग रहे हैं और पीछे भी मांगे थे। अगर वह जल्दी स्वीकृति देंगे तो हम चाहेंगे कि हम जल्दी आपको उसका लाभ दें। धन्यवाद।

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने वही पढ़कर सुनाया जो मेरे पास भी है। It is wastage of time. मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सी.डब्ल्यु.सी. से स्वीकृति नहीं आती, उससे पहले अगर बरसात आ जाती है तो उन गावों का क्या होगा? कम-से-कम उन गांवों और उस ज़मीन की प्रोटैक्शन के लिए, जहां-जहां डैंजर एरिया है, वहां-वहां वायर क्रेट लगाने का सरकार प्रावधान करेगी?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : मैं आपकी बात समझ रही हूं। लेकिन आप समझिए कि अभी बरसात नहीं आई है। वहां काम नहीं हो रहा है क्योंकि फंडिंग नहीं हो रही है जिसके कारण हमारे सामने बहुत दिक्कत है। मैं आपकी परेशानी समझती हूं और हम-सब उसे महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार में हमारा काम बहुत ढीले से हो रहा है जिसकी हमें बहुत चिंता है। यह बात हमने कई बार उनसे उठाई है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपका यह कार्य जल्दी हो, इस बात को हम उनके साथ उठाएंगे। हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है और न इसमें हमें कोई निराशा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कई मज़बूरियां हैं। मैं यह सच्चाई के साथ कह रही हूं। अगर हमें फंड्ज मिल जाएं तो इसमें कोई

29.02.2016/1455/SLS-AS-2

दिक्कत की बात नहीं है; आपके सारे काम सही तरीके से होंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाती हूं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा कि फंड्ज आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ...(व्यवधान)... फंड्ज के बगैर काम नहीं हो सकता, इनका यह कहना है।

श्री इन्द्र सिंह : सर, जब यहां से पत्र ही नहीं जा रहे हैं तो भारत सरकार इसमें क्या कर सकती है? जब इसकी AA&ES आई, उसके बाद ये दो सालों के बाद सी.डब्ल्यु.सी. को पत्र लिख रहे हैं। यह सब क्या है? What is this? हमारा फिर से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि वहां पर कोई-न-कोई प्रोटैक्शन रहनी चाहिए। विभाग वहां पर क्या कर रहा है? इंजीनियर्ज़ और एक्स.ई.एन. साहब वहां जाकर देखें और इनको रिपोर्ट दें। वहां पर काम होना चाहिए। सर, लोग वहां डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं जिस बात से हम बहुत चिंतित हैं and it should not be taken casually it is a very serious matter.

Speaker: Hon'ble Minister, kindly take necessary action.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : हमें भी आपकी ही तरह चिंता है और शायद उतनी ही है। आप बार-बार यही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहते। आपको इस बात की गलत-फहमी है। अगर हमारे पत्र न गए हों या वहां से अधिकारियों से जवाब नहीं आया तो यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। यह आपकी समस्या है इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हम एक बार फिर कोशिश करेंगे और जल्दी-से-जल्दी इस बात को उठाएंगे। यह हमारा कर्तव्य है। अगर हमने यह किया है तो सोच-समझ कर किया है। हम ऐसा नहीं करते कि आए थे और चले गए। हम कोई तमाशा देखने के लिए नहीं आए। हमारी कोशिश है और यह हमारा कर्तव्य है, हम यह काम करेंगे। केंद्र सरकार जितनी जल्दी पैसा दे देगी, उतनी जल्दी हम यह काम करेंगे। अगर आप भी वहां एक बार मंत्री जी के पास चले जाएं तो शायद हमें भी लाभ होगा। धन्यवाद।

29.02.2016/1455/SLS-AS-3

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह सीर खड्ड के पैसे सैंटर में रुके हुए हैं; इस बार तो इन्होंने कोई बजट नहीं रखा था, क्या स्टेट गवर्नमैंट अपने बजट से कुछ पैसा इन खड्डों की चनेलाईजेशन करने के लिए देगी? नंबर दो, जैसे हमारे भाजपा के विधायक आज सीर खड्ड का सवाल उठा रहे हैं, वैसी ही एक खड्ड हमारे वहां स्वां नदी है जिसका पैसा भी सैंट्रल गवर्नमैंट ने रोक रखा है। क्या आप दोनों खड्डों के लिए स्टेट फंड से पैसा देंगे या सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मुकद्दमा लड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोगों का पैसा इन कार्यों में देना है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : मैं जानती हूं कि इस तरह की समस्या सबकी है। इस तरह की परेशानियों तो होती ही हैं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी... श्री गर्ग जी

29/02/2016/1500/RG/DC/1

प्रश्न सं. 2614----क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री----क्रमागत

लेकिन आप यह बताइए कि जब हम बार-बार पत्र भेजें और हमारे अधिकारी भी वहां जाएं और हमारा कोई काम न हो, तो क्या करें? वे उसको आसानी से देखते हैं। हमारा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। पैसा आए और उस पर काम शुरू होना चाहिए। अब आप बताइए, यह हमारी मजबूरी है। हम कोई जानबूझकर नहीं कर रहे हैं या हमारी कोई ऐसी आदत नहीं है कि हम ऐसा करें कि उनको छोड़ दो। हम किसलिए आए हैं? हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, हम जनता की सेवा के लिए यहां आए हैं। लेकिन जब सरकार हमें पैसा ही न दे, तो हम कहां जाएं? आप लोग बताइए। इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, आप लोग वहां जाएंगे, तो फण्ड्ज क्यों नहीं मिलेंगे? मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है। मैं आपको यहां सच्चाई बता रही हूं। हम जल्दी-से-जल्दी कोशिश कर रहे हैं और पहले भी हमने सीर खड्ड के लिए पत्र लिखे थे, तो इसमें हम कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यह कोई छोटी-मोटी बात

नहीं है। आपकी तकलीफ को भी हम समझ रहे हैं। लेकिन ये गलत कह रहे हैं कि हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पीछे भी हमने कहा कि जिसको जो काम चाहिए, वह हमें प्राथमिकता के आधार पर करना है। यह हमारा कर्तव्य है।

प्रश्नकाल समाप्त

-/**2**

29/02/2016/1500/RG/DC/2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे में वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस सप्ताह की कार्यसूची से इस माननीय सदन को अवगत कराएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार है :-

सोमवार, 29 फरवरी, 2016 (1) शासकीय विधायी कार्य
(2) अनुपूरक बजट प्रथम एवं अन्तिम किस्त वित्तीय वर्ष 2015-16
(i) सामान्य चर्चा (ii) मांगों पर मतदान और
(iii) विनियोग विधेयक, पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण।
(3) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

मंगलवार, 1 मार्च, 2016 (1) शासकीय/विधायी कार्य,
(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाष्ण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा

बुधवार, 2 मार्च, 2016 (1) शासकीय/विधायी कार्य,
(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा।

वीरवार, 3 मार्च, 2016 (1) शासकीय/विधायी कार्य
(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा

शुक्रवार, 4 मार्च, 2016 (1) शासकीय/विधायी कार्य,
(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाष्ण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा एवं पारण।

-/3

29/02/2016/1500/RG/DC/3

अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2015-16

अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से पहले नियम-63 के अन्तर्गत पेड़ों के कटान पर भी आज ही चर्चा होनी है।
अब वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) पर चर्चा होगी जो आज ही समाप्त होगी तथा मांगों पर मतदान भी आज ही होगा। उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी पारित होगा।
(सदस्यगण चर्चा में भाग ले सकते हैं तथा माननीय मुख्य मंत्री जिनके पास वित्त विभाग है, चर्चा का उत्तर देंगे।)
अब वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। कोई माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहेगा?
सदस्यगण : जी नहीं।
अध्यक्ष : सभा का समय बचाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री की ओर से सभी मांगें प्रस्तुत हुई समझी जाती हैं और इन्हें मैं मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार हैं :-
29/02/2016/1500/RG/DC/4

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नं. 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त

धनराशियां क्रमशः मु. 14,50,86,05,488/- (राजस्व)और मु. 3,23,80,35,000/- (पूंजी) संबंधित सेवाओं के लिए दे दी जाएं।

एम.एस. द्वारा जारी

29/02/2016/1505/MS/DC/1

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एवं 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर-3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां मु014,50,86,05,488/-(राजस्व) व मु0 3,23,80,35,000/ (पूंजी) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार, मांगे पूर्ण रूप से पारित हुईं।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016(2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016(2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार, अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करेंगे।

29/02/2016/1505/MS/DC/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016(2016 का विधेयक संख्यांक 1) पुरःस्थापित हुआ।

29/02/2016/1505/MS/DC/3

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) विचार किया जाए।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) विचार किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि हूं कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार, खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें।
प्रस्ताव स्वीकार,अनुसूची विधेयक का अंग बनीं।

तो प्रश्न यह खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें ।

29/02/2016/1505/MS/DC/4

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016(2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।"

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016(2016 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि " हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक -1) को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) ध्वनिमत से पारित हुआ।"

29/02/2016/1505/MS/DC/5

अब नियम 63 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा होगी। श्री महेन्द्र सिंह जी नियम 63 के अंतर्गत चर्चा उठाएंगे परन्तु इस पर कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। श्री महेन्द्र सिंह जी की चर्चा के वक्तव्य के उपरान्त माननीय वन मंत्री उत्तर देंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 63 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा हेतु अपना विषय प्रस्तुत करता हूं कि "प्रदेश में लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लगाए गए सेब के पौधों के कटान बारे यह सदन चर्चा करे।"

अध्यक्ष जी, हमारा यह प्रदेश भले ही छोटा प्रदेश हो लेकिन इस प्रदेश की सुन्दरता और इस प्रदेश की पहचान राष्ट्र तक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व तक सेब राज्य के रूप में बनी हुई है और इस सेब राज्य में ऐसा लग रहा है कि जिन गरीब बागवानों ने,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

29.2.2016/1510/जेएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंहः जारी---

प्रदेश के अन्दर अपने छोटे-छोटे बगीचे लगाए हैं और उन बगीचों से वे अपनी आजीविका और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं लेकिन कुछ समय से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि प्रदेश में कुछ हाईडल प्रोजैक्ट्स लग गए। सड़कें जब हमें आजादी मिली थी तो केवल मात्र 288 किलोमीटर लम्बी थी वे सड़कें आज 34-35 हजार किलोमीटर लम्बाई की बन गई है। बहुत बड़ा कृषि का क्षेत्र नालागढ़, बद्दी, काला-अम्ब, पांवटा साहिब, ऊना, कांगड़ा, नूरपुर आदि के क्षेत्र में उद्योग आ गए। बड़े-बड़े बांध बन गए। जनसंख्या जो हमारी वर्ष 1947-48 में थी उसमें भी एक बहुत बड़ा

इज़ाफा पूरे प्रदेश में हुआ है। जब जनसंख्या बढ़ी, परिवार बढ़े, परिवारों के बढ़ने से ज्यादा मकान बनें और शहरीकरण की तरफ भी एक बहुत बड़ी बढ़ौत्तरी पूरे प्रदेश में हुई है। जहां प्रदेश में 11 फीसदी कृषि का क्षेत्र था वह 11 फीसदी से कृषि का क्षेत्र घट करके अब लगभग 9 फीसदी रह गया है। 9 फीसदी कृषि का क्षेत्र, बागवानी का क्षेत्र रहने से अब चिन्ता का विषय आज पूरे प्रदेश में हो गया है। इस 9 फीसदी में भी 80 प्रतिशत सीमान्त किसान आते हैं जिनके पास 5 बीघा या 5 बीघा से कम जमीनें हैं। ढलानदार जमीन होने के नाते क्योंकि पहाड़ी राज्य है, अगर मैदानी क्षेत्र होता तो पूरे के पूरे क्षेत्र में कृषि या बागवानी की जा सकती थी लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहां पर कृषि व बागवानी योग्य भूमि कम हो जाती है। कुदरती है कि जिस किसान के पास जो जमीन है उस जमीन के साथ-साथ जहां पर सरकारी जमीन उसकी जमीन के साथ लगती है, शायद प्रदेश के अन्दर कोई ऐसा किसान होगा, कोई ऐसा बागवान होगा जिसके पास चाहे थोड़ी जमीन है या ज्यादा जमीन है कम से कम उसमें हाथ-दो हाथ, बीघा-दो बीघा, चार बीघा और दस बीघा तक भी एन्क्रोचमैंट कर रखी है। एन्क्रोचमैंट करती बार भी जब बन्दोबस्त का समय आता था तब बन्दोबस्त के समय भी मलकीयत के तौर पर उन किसानों व बागवानों का इन्द्राज होता रहा है कि जो सरकारी भूमि के साथ लगती जमीने हैं बन्दोबस्त के समय में उसकी मिसलें बनती

थी और मिसलें बनने के साथ-साथ वह जमीने उन्हीं मालिकों को दी जाती थी। इस करके लोगों ने आगे-आगे बढ़ना शुरू किया।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कृषि भूमि कम होने के कारण नौतोड़ का आबंटन 1968 में

किया गया। वर्ष 1968 से ले करके 1980 तक वह हिमाचल प्रदेश के अन्दर नौतोड़ भूमि उन किसानों को दी गई जिसकी जितनी मिसल बनती थी वह जमीने नौतोड़ के रूप में दी गई जैसे ही वर्ष 1980 में फोरैस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट आया उसके आने के साथ-साथ पूरे प्रदेश के अन्दर एक ऐसी दिक्कत आ गई कि जो जमीन जिन किसानों ने अपने कब्जे में की थी----

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

29.02.2016/1515/SS-AG/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

जिस पर पेड़-पौधे लगाए थे या कृषि करते थे, उनकी जो मिसलें थीं, वे मिसलें बनना और उसके बाद स्वीकार होना बंद कर दिया गया। इसके साथ-साथ संविधान की पांचवीं अनुसूची में जो ट्राईबल एरिया है उसमें राज्यपाल महोदय की अनुमति से ये प्रतिबंध हटाया जा सकता है जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 17.7.2014 को नोटिफिकेशन नं0 FFE-B-F(5)2-2002-PT4-लूज द्वारा किया गया है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक 1980 से पहले की बात है। 1980 से पहले बहुत जो बगीचे लगे हैं, बहुत जो जमीनें हैं, जिसमें कि ब्यास-सतलुज लिंक प्रोजैक्ट के बनने से भाखड़ा बांध बना। भाखड़ा बांध बनने से जो लोग वहां से ऑस्टीज हुए या बेघर हो गए उन ऑस्टीज़ को उस वक्त क्योंकि 1960 और 1970 के दशक में उस परियोजना का निर्माण कार्य किया गया, उससे क्या हुआ कि हज़ारों ऐसे परिवार जो वहां से बेघर हुए, जिनकी वहां पर जमीनें चली गईं, उनको कहा गया कि नज़दीक में जहां-जहां जंगल के बीच में आपको जमीन दिखाई देती है या मिलती है आप उन-उन जगहों पर अपना घर बना लो। अपनी गौशाला बना लो और अपनी खेतीबाड़ी करना शुरू कर दो। उसमें हज़ारों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने वहां पर अपने बसेरे बना लिये। अपनी जमीनें बना लीं। कृषि करनी शुरू कर दी। बागवानी करनी शुरू कर दी। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर हुआ जहां-जहां ऐसे प्रोजैक्ट बने। वहां पर भी इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश वासियों ने अपने कब्जे कर लिये। भारत सरकार ने 10 जून, 2015 को देश के सभी मुख्य सचिवों को

एक पत्र लिखा और उस पत्र में यह कहा कि वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए आप अभियान चलाएं। उस अभियान के तहत 6 माह में वन निवासियों के सभी अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से एक उत्तर गया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और पंचायत चुनाव के वक्त यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। जबकि मैं नहीं समझता कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में किसी प्रकार का कोई विल्म्ब हो सकता था। उसमें जो फॉरैस्ट राइटस कमेटियां बननी थीं, वे नहीं बनाई गईं। फॉरैस्ट राइटस कमेटियां न बनाये जाने की वजह से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हमारे लोगों को लाभ से वंचित होना पड़ा। हमारी जो जमीनें हैं उन पर नियमानुसार फॉरैस्ट राइटस कमेटी ने सारा काम करना था, वह बंद हो गया।

29.02.2016/1515/SS-AG/2

इसके बाद एक बेदखली की कार्रवाई की गई। एक ऐसी सिविल रिट पीटिशन नं0 180 ऑफ 2011 की गई। उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन वर्सिज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंवायरनमैंट, फॉरैस्ट एंड अदर्ज़ दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की गई। मैं राजस्व मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री, वन मंत्री और बागवानी मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि 18 अप्रैल, 2013 में भी उच्च्तम न्यायालय ने यह प्रस्तावना दी है कि जब तक वन अधिकारों की मान्यता व निरीक्षण की प्रक्रिया वन अधिकार कानून के तहत पूरी नहीं होती तब तक वन भूमि से बेदखली की कार्रवाई और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राज्स्व मंत्री जी, मैं सुप्रीम कोर्ट की रिट पीटिशन की बात कर रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदेश में वन अधिकार कानून के तहत गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय निगरानी समिति में भी दिनांक 22 मई, 2013 की बैठक में प्रस्ताव पारित करके यह कहा था कि कोई भी वन निवासी तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक कि वन अधिकारों की मान्यता व निरीक्षण की प्रक्रिया उक्त कानून के तहत पूरी नहीं हो जाती..

जारी श्रीमती के0एस0

29.02.2016/1520/केएस/एएस/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी---

अब हमारी जो विधायिका और कार्यपालिका है, अगर विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्य का निष्पादन ईमानदारी से करें तो मैं समझता हूं कि यह जो पूरे प्रदेश के अंदर समस्या खड़ी हो गई है, यह छोटे से लेकर बड़े तक सभी को है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई वंचित है। हम लोग जो विधान सभा के सदस्य यहां पर बैठे हैं, जहां-जहां पर हमारी जमीनें हैं, हमने भी ज्यादा नहीं तो थोड़ी-बहुत एन्क्रोचमैंट सभी ने की है क्योंकि हम भी इस प्रदेश के किसान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वन अधिकार कानून 2006 के मुताबिक संसद द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम है जिसकी धारा 4 की उप धारा-1, 5 तथा 7 के तहत जब तक वन अधिकारों की मान्यता और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती तब तक किसी तरह की वन भूमि से वन निवासियों की बेदखली नहीं की जा सकती है। वन मंत्री जी, आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है क्योंकि आपने जंगलों को भी देखना है और जंगलों से जो राईट होल्डर्ज़ जंगलों के नज़दीक जो रहने वाले किसान और बागवान हैं, उनके जो राईट्स बनते हैं, उनको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना आपका काम है । विशेष अधिनियम न होने के कारण दूसरा कोई भी प्रादेशिक और केन्द्रीय वन तथा राज्यों से कानून प्रभावी नहीं हो सकता । मैं वन मंत्री जी से, राजस्व मंत्री जी से व आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मैं कहीं पर अगर गलत हूंगा तो आप करैक्ट कर लेना आपके पास ब्यूरोक्रेसी बैठी है लेकिन इतना हम जरूर चाहते हैं

29.02.2016/1520/केएस/एएस/2

कि दूसरा चरण जब 2013 में आया- दूसरा चरण 2013 में गैर आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले परम्परागत अन्य वन निवासियों के वन अधिकार के दावे आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । माननीय वन मंत्री जी जो प्रक्रिया अभी तक लम्बित है, एक तरफ आप प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी करते हैं और दूसरी तरफ जो पार्ट

आपको इम्पलीमेंट करना चाहिए उस इम्पलीमेंटेशन पार्ट को आप आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि उसमें इस प्रदेश का सीमांत किसान पिसा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सभी आदिवासी और गैर आदिवासी किसान जो तीन पुश्तों से यहां रह रहे हैं, यह बहुत जरूरी है, तीन पुश्तों का मतलब है, 75 साल से जो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, इस कानून के तहत वन निवासियों की श्रेणी में आते हैं। चाहे वह कोई भी है। 75 साल से तीन पुश्तों से जो यहां रह रहा है, वह इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे में जब तक वन अधिकार कानून 2006 के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तब तक किसी भी वन निवासी की बेदखली नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष जी, चाहे विधान सभा हो, लोकसभा हो या राज्य सभा हो, ये हाऊसिज़ इसीलिए बने हैं विधायिका के लिए कि यहां हम जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम अपने लोगों की बात यहां इस हाऊस में रखें । मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो फोरैस्ट रिसोर्सिज़ 13 दिसम्बर, 2000 से पहले के सभी परम्परागत उपयोग शामिल है। पशु चराई का अधिकार है, घास पत्ती, लकड़ी, जड़ी-बूटी, वन उत्पादन राष्ट्रीय आस्था के स्थान परम्परागत लघु खनिज जैसे मिट्टी पत्थर इत्यादि, मच्छली, पानी, नदी,

29.02.2016/1520/केएस/एस/3

नाले शिकार छोड़ करके बाकी सभी तरह के वन उत्पादक का निजी उपयोग व बेचने का अधिकार है। क्या यह अधिकार है या नहीं है? अगर है, तो जब हमारे लोगों के ये सारे अधिकार प्राप्त हैं तो माननीय मंत्री जी निजी वन अधिकारी, इंडिविजुअल फोरैस्ट रिसोर्सिज़ 13 दिसम्बर, 2005 के पहले से वन निवासी के वन भूमि पर अपनी आजीविका के लिए खेती कर रखी हो तथा रिहायश बना रखा हो तो वह उसका अधिकार है। मेरा माननीय मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर यह जो एक दहशत भरा वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा हो चुका है कि जो छोटा बागवान है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.2.2016/1525/av/as/1

श्री महेन्द्र सिंह---- जारी

या किसान हैं और जहां छोटे बागवानों और किसानों ने कहीं थोड़ी-बहुत ऐनक्रोचमैंट की हुई है उन छोटे किसानों / बागवानों की बहुत बुरी हालत बना रखी है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप हिमाचल प्रदेश में जो दिनांक 8 जून, 2008 को पत्र संख्याः 17014/02/2007-PC&V, जिल्द-7 भारत सरकार से जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से खास स्पष्टीकरण पत्र 1.4.2013 को ऑफिस मैमोरैंडम न0. 23011/22/2010एफ.आर.ए. के तहत जारी किया गया है। मेरा मुख्य मंत्री जी से विशेष आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जो ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है; इस दहशत से हिमाचल प्रदेश के उन बागवानों और किसानों को कैसे निकाल सकें, इस बारे में अखबारों में आ रहा है। 'हिमाचल दस्तक' में आज भी जिला सिरमौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चम्बा से अलग-अलग आया हुआ है। यह चिन्ता का विषय है, लोग अपनी खुशी से अखबार वालों के पास नहीं जा रहे हैं। आज बागवान इस बात से चिन्तित है कि हमारी हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी जो बागवानी है वह कहीं कमजोर न हो जाए, इसलिए हमने आपसे प्रार्थना की थी। इस बारे में हाऊस में दिनांक 3.12.2015 को 2543 प्रश्न लगा था। उसमें बताया था कि कितने घरों के बिजली और पानी के कनैक्शन काटे गये। पूरे प्रदेश का आंकड़ा देखे तो यह हजारों का है। कुल्लू जिला में ही इस प्रकार का हजारों का आंकड़ा है। कुल्लू जिला का आया हुआ है कि वहां पर लगभग 3 हजार से ज्यादा कनैक्शन काटने के लिए तैयारियां कर दी गई है। कुछ कनैक्शन काट दिए गए हैं और कुछ काटने को रह गये हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है। यहां पर भारी वर्षा होने के कारण लोगों की गौशाला और जमीनें बह रही है। माननीय मुख्य मंत्री वर्ष 2014 में मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में गये थे। वहां भारी वर्षा के कारण 125 मकान व 300 गौशालाएं बह गई। वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जहां पर आपको उपयुक्त जमीन दिखाई देती है वहां पर

आपको दो या तीन बिस्वा जमीन दे दी जायेगी। अब हमारी समझ में नहीं

29.2.2016/1525/av/as/2

आता कि 2 या 3 बिस्वा जमीन की अलॉटमैंट आप किस रूप में करेंगे जब मान्य हाई कोर्ट कहता है कि हिमाचल में सारी की सारी जमीन फॉरैस्ट लैंड की परिभाषा में आती है। हमें तो इस बात कीचिन्ता है कि भारी वर्षा होने के कारण जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हो तो उसका सामना कैसे कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान 30.9.2014 तक हिमाचल प्रदेश में जो 1996 से 9612 ऐसे फलदार बगीचों के केस हैं उनको नोटिस सर्व हो चुके हैं। उस क्षेत्र के जो-जो डी.एफ.ओ. हैं उन्होंने उन बागीचों को काटना शुरू कर दिया है। उसमें से 7009 केस डी.एफ.ओ. द्वारा रजिस्टर किए जा चुके हैं। 2603 में कार्रवाई प्रोसैस में लाई जा रही है और 3392 केसों में बागीचों को काट दिया गया है। यह तो मैं पीछे के केसों के बारे में बता रहा हूं। मुझे लगता है कि वर्तमान में 3392 का आंकड़ा 5 या 6 हजार तक पहुंच चुका है। अभी एक ऐसी स्थिति है कि सैक्शन 163 के तहत जो हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी ऐनक्रोचमैंट में फाइलें बनी हुई है----------

श्री टी सी द्वारा जारी

29-02-2016/1530/TCV/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह --- जारी

जिन लोगों की फाईलें बनी हुई है वह सारे-की सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर यह बात आगे बढ़ती है तो हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा चुनाव क्षेत्र इस आपदा से अछूता नहीं रहेगा। यह तो हिमाचल प्रदेश के लिए महामारी से भी बड़ी महामारी हो गई है। क्या खाएंगे वे जब उन छोटे लोगों के बगीचे ऊजड़ जाएंगे जिन्होंने

2-2 या 3-3 बिस्वा के ऊपर अपना घर बनाया हुआ है, जिसमें उनका परिवार रहता है, जब उस मकान को ढाह दिया जाएगा, उसके बिजली और पानी के कनैक्शन काट दिए जाएंगे तो उनके बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। वे लोग पानी कहां से पिएंगे? मेरा माननीय मुख्य जी से निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं । इन्होंने इसी हाऊस में कहा था कि दस बीघा से कम किसी के बगीचे नहीं काटे जाएंगे। इन्होंने कहा था कि किसी के बिजली और पानी के कनैक्शन नहीं काटे जाएगें। माननीय मुख्य मंत्री जी आपके आदेशों के बावजूद और जिस दिन आपने इस हाऊस के अन्दर स्टेट्मैंट दी थी, उसके बाद भी हजारों कनैक्शन कट गए। हमारा उन अधिकारियों से भी रोष हैं जो कनैक्शन काटते समय पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन-कौन से घर हैं? जो-जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके बिजली और पानी के कनैक्शन पहले काटे जा रहे हैं। लेकिन जो आपकी पार्टी (कांग्रेस) पार्टी से संबंध रखने वाले हैं, उनके कनैक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। यह कहां का कानून है और कैसा कानून है? यदि कानून है तो फर्स्ट -कम-फर्स्ट सर्व में एक तरफ से बिजली /पानी के कनैक्शन काटना शुरू करते और दूसरी तरफ तक काटते चले जाते।

मुख्य मंत्रीः यदि ऐसा हुआ है तो आप हलफिया बयान दें कि फलां अधिकारी ने राजनीतिक आधार पर फ़ायदा दिया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। यह सब हाईकोर्ट के आर्डर से हुआ है और इसमें सबके कनैक्शन कटे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंधित हो। आज इसको एक राजनैतिक रंग देना सही बात नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं ।

29-02-2016/1530/TCV/DC/2

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं । मैं तो अपने चुनाव क्षेत्र की आपको लिस्ट दे दूंगा। यदि आप कहें तो मैं वह लिस्ट कल ही दे दूगां। मेरे पास वह सारा रिकार्ड में पड़ा हुआ है कि कौन-सा सिरीयल नम्बर है। पहले ये लिस्ट एस0डी0एम0, सरकाघाट ने प्रोवाइड की हुई है। उस वक्त एस0डी0एम0 का

कार्यालय धर्मपुर में नहीं था। जब हमारी ऐस्टीमेटी और पी0ए0सी0 कमेटी टूअर पर गई थी तो हमने उसमें पूछा था। यदि उन सीरियल नम्बर में आप एक से लेकर लॉस्ट तक काट देते तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जो पिक एण्ड चूज़ का फॉमूला किया गया, वह इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने कहा है मैं कल ही वह लिस्ट लाकर आपके पास रख दूंगा।

उपाध्यक्षः प्लीज वांइड अप I There are 14 Members to speak.

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट का ही एक डिसीज़न आया है कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर किसी भी प्राइवेट लैंड के अन्दर हरा पेड़ काटना हो तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और बिना अनुमति के वह हरा पेड़ नहीं काटा जा सकता। हमने पूछा कि बिना अनुमति वह हरा पेड़ क्यों नहीं काटा जा सकता? तो कहा गया कि इससे प्रदेश के अन्दर पर्यावरण का नुकसान होगा। क्या पूरे राष्ट्र के पर्यावरण का ठेका हिमाचल प्रदेश किसान और बागवानों ने ले रखा है? दूसरी तरफ वही उच्च न्यायालय फैसला देता है कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो सेब के पेड़ लगे हुए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उन पेड़ों को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से काटा जाये। क्या इससे प्रदेश के अन्दर पर्यावरण संतुलित होगा? जब प्रदेश के अन्दर बारिश होगी तो क्या वहां पर भू-स्खलन नहीं होगा? मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारा जो एडवोकेट जनरल है, हम इस बात को उनके माध्यम से न्यायालय में रखें कि एक तरफ आपका फैसला ऐसा है और दूसरी तरफ आपका फैसला वैसा है, हमें बताएं कि हम किस फैसलें को माने । पर्यावरण की दृष्टि से यदि लाखों पेड़ सेब के काटे जाएंगे-------

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

29.02.2016/1535/RKS/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह..... क्रमागत

मेरा सरकार से अनुरोध है, हमारा जो एडवोकेट जनरल है, हम उस बात को न्यायालय के बीच में रखें कि आपका एक तरफ फैसला ऐसा है और दूसरी तरफ आपका फैसला

ऐसा है, तो हम किस फैसले को मानें? अगर लाखों पेड़ सेब के काटे जाएंगे तो लाखों पेड़ के कटने से हजारों बागवानों के पेट कट जाएंगे वहीं पर्यावरण का नुकसान भी इस प्रदेश के अंदर होगा। जब भारी वर्षा होगी तो भू-स्खलन होगा और उस भू-स्खलन की भरपाई के लिए न्यायालय फंडस का इंतजाम करेगा? मेरा सुझाव है कि प्रदेश के अंदर जहां-जहां एनक्रोचमेंट के मामले हैं और विशेषकर जो मामले मकानों और गौशालाओं के हैं उन्हें डिस्मैंटल करने के आदेश माननीय मुख्य मंत्री न दें। दूसरी बात यह है कि उनके बिजली और पानी के कनैक्शन को भी न काटा जाए। । जब बिजली का कनैक्शन दिया जाता है तो उसकी फाइल बनती है। जब फाइल बनती है तो उसमें राजस्व रिकॉर्ड, एफिडेविट और अन्य सारी औपचारिकताएं पूरी की जाती है, उसके बाद ही बिजली, पानी का कनैक्शन मिलता है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

उस समय उन अधिकारियों ने क्यों नहीं देखा कि मकान या गौशाला सरकारी जमीन में है। इसलिए हम चाहेंगे कि जिनकी 10 बीघा तक की एनक्रोचमेंट है, उन बागवानों के लिए आप उस एरिया को अडैंटिफाई करें। उस एरिया में तार लगवाने के लिए कहें। हम तो यह भी कहते हैं कि जिस बागवान ने एनक्रोचमेंट की है वही उस एरिया को चारों तरफ से बारबड तार से फेंसिंग कर दें। उसके बाद सरकार, वन विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, होर्टिकल्चर विभाग और राजस्व विभाग सब मिलकर के उसकी असेसमेंट करें या उसी पे उनको लीज आऊट करे या उसकी कोई रॉयल्टी फिक्स कर दे ताकि प्रदेश के राजस्व में भी कुछ न कुछ वित्तीय प्राप्ती हो। इसके साथ जो पर्यावरण का नुकसान सेब कटाई की वजह से होगा उससे भी हम बच सकते हैं। पेड़ो को काटने से बेरोजगारी पैदा होगी, अगर ऐसा होता है तो

29.02.2016/1535/RKS/DC/2

उन गरीबों के लिए भी आपको कोई न कोई रास्ता वर्क आऊट करना चाहिए। माननीय

अध्यक्ष जी, मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं, आज जो हमारा विषय था यह बहुत ही संवेदनशील, महत्वपूर्ण और पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ था। भले ही आपने नियम-67 को दूसरे नियम में बदल दिया लेकिन दूसरे नियम में जो आपने दरियादिल्ली दिखाई उसके लिए हम आपका तह दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रदेश सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस विषय को हल्के में न लें। अगर इस विषय में माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय नहीं मानता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। जहां से आपको रिलिफ मिलता है आप वहां चले जाएं या आप ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसके तहत बागवानों को फायदा मिल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः इस चर्चा के लिए केवल दो घंटे निर्धारित किए गए हैं और बोलने वाले हमारे बहुत से माननीय सदस्य हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वे थोड़ा समय लेकर के संक्षेप में बात करें। अब श्री जगत सिंह नेगी माननीय उपाध्यक्ष जी, इस चर्चा में भाग लेंगे।

29.02.2016/1535/RKS/DC/3

उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष जी, नियम -63 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी ने उठाया है। इसमें मैं, अपने आप को भी शामिल करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका धन्यवाद। यह मामला बहुत ही गंभीर मामला है और प्रदेश के छोटे किसानों, बागवानों से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने एक पी.आई.एल. जो वर्ष 2014 में दाखिल हुई, उसके बाद समय-समय पर कठोर आदेश.....

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी....

29.02.2016/1540/SLS-AG-1

माननीय उपाध्यक्ष .....जारी

उसके बाद समय-समय पर कठोर आदेश दिए गए हैं और आज इन आदेशों के कारण करीब 9012 एनक्रोचमैंट के केस वन विभाग ने डिटैक्ट किए हैं जिनमें से करीब आधे केसिज में अब तक ऑर्डर भी हो गए हैं। उनमें से आगे जाकर कोई 3000 से अधिक केसिज में बेदखली के आदेश भी जारी हो गए हैं। परंतु सबसे दुखद पहलू यह है कि जो सेव के बगीचों को काटने के आदेश दिए गए हैं उनसे एक बहुत भारी समस्या जन-साधारण में देखने को आई है, यहां तक की लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी बनता जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि पिछली बार इसी माननीय सदन में इन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा और सदन ने भी प्रस्ताव पास किया, हाईकोर्ट से निवदेन किया कि पेड़ काटने के आदेश को स्टे किया जाए। परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने, इस प्रस्ताव में जो स्टे के बारे में या पेड़ न काटने के बारे में बात कही गई थी, उसको मान्य नहीं किया। नतीजतन वन विभाग के अधिकारी उस आदेश की पालना कर रहे हैं। जो पेड़ वह काट रहे हैं वह पुराने आरे के साथ नहीं बल्कि चेन शॉ के साथ काट रहे हैं। अभी शनिवार को जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पारित हुए, उसमें वन विभाग को कुल छः सप्ताह का समय दिया गया है। उससे पहले वन विभाग ने तीन महीनों का समय मांगा था और हाई कोर्ट ने सारी एनक्रोचमैंट हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया था। अब एनक्रोचमैंट हटाने के लिए केवल छः सप्ताह का समय दिया गया है। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं यह मुझसे पूर्व माननीय सदस्य ने यहां बताया है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिन्हें तुरंत किए जाने की आवश्यकता है। एक तो जो माननीय हाई कोर्ट का निर्णय, खासकर पेड़ काटने के बारे में है इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता है; ग्रीन ट्रिब्यूनल में जानें की आवश्यकता है। साथ में, जो एनक्रोचमैंट्स हैं, आप कह रहे थे कि फोरैस्ट राईट्स एक्ट 2006 में इसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें मेरी राय कुछ अलग है। फोरैस्ट राईट्स एक्ट 2006, एनक्रोचमैंट जो लोगों द्वारा की गई है, उसको रैगुलराईज करने

के लिए कोई कानून नहीं है। यह लोगों के राईट्स को मान्यता देने की बात है। वह भी, पहले ग्राम सभाओं में 1/3 या 2/3 बहुमत से उसको पारित करना है; उसके लिए कमेटीज बननी हैं। इसलिए जो लोग 150-150 बीघा एनक्रोचमैंट करके बैठे हैं , वह फोरैस्ट राईट्स का बैनेफिट नहीं ले सकते। इसके लिए सरकार को पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है या कानून लाने की ज़रूरत है। सन् 2000 में भी यहां एक रूल आया था। उसमें यह कहा गया था कि आप ऐफेडैविट दे दो और अगर आपने एनक्रोचमैंट कर रखी है तो उसको रैगुलराईज करेंगे। उसमें लोगों की एनक्रोचमैंट नहीं भी थी तब भी उन्होंने रातोंरात की। फिर ऐफेडैविट देकर प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हजारों रुपये खर्च भी गए। वह मामला भी बाद में हाई कोर्ट में गया और वर्ष 2000 से वह मामला हाई कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। उसमें अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया है।

अभी इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है, वह है कि सन् 1952 में हिमाचल सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन यह हुआ कि जितनी भी वेस्ट लैंड हैं, उस सारी को उस अधिसूचना के माध्यम से फोरैस्ट लैंड माना गया। परंतु 1980 में फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया। अब अगर हम किसी भी किसम की पॉलिसी बनाएंगे तो फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में कोई भी प्रावधान नहीं है। जो लोगों ने एनक्रोचमैंट कर रखी है या लोगों को ज़मीन देनी है, उसके लिए केंद्र सरकार से परमीशन मांगनी पड़ेगी। फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार को 12 बीघे तक की पॉवर भी है। लेकिन उसमें 13-14 आईटम्ज में लिमिट लगा रखी है। अब इस एनक्रोचमैंट में लोगों की मदद कैसे की जा सकती है, इसके लिए पिछली बार हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक हाई पॉवर्ड कमेटी का गठन किया जिसमें फोरैस्ट और राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया। उनको इस गंभीर विषय पर विचार करके, जो भी कानून या पॉलिसी लानी है, वह सुझाव देने के लिए कहा गया। परंतु अफसोस इस बात का है कि उस कमेटी ने

भी कोई काम नहीं किया। एकाध मीटिंग करके वह भी बैठे रहे।

जारी... श्री गर्ग जी

29/02/2016/1545/RG/AG/1

उपाध्यक्ष महोदय----क्रमागत

एक-आध मीटिंग करके वे भी बैठे रहे। और फिर नतीजन यह हुआ कि हाई कोर्ट ने और ज्यादा सख्त ऑर्डर पास करना शुरू कर दिए। अब इस समय यह किया जा सकता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी मान्यता दी जाए। ऐनक्रोचमेंट तो वाकई में ऐनक्रोचमेंट है, चाहे वह एक बीघा हो या सौ बीघा का हो। उसको बेदखल किया जाए, परन्तु पेड़ न काटे जाएं। पेड़ न काटने के लिए दुबारा भी हाई कोर्ट में जाया जा सकता है और ऐनक्रोचमेंट को बेदखल करके एक ऐसी नीति या कानून लाया जाए कि जो छोटे ऐनक्रोचर्ज हैं या जो छोटे 15 बीघे से नीचे वाले बागवान हैं, उनको 5 या 10 बीघा स्लैब बनाकर भूमि लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आप लीज का अमॉउन्ट निर्धारित कर दीजिए। जो छोटे 5 बीघा वाले हैं उनको हजार रुपये रखिए, जो 5 से 10 बीघा वाले हैं उनके लिए आप और ज्यादा पैसा रख सकते हैं। क्योंकि जो बगीचे बने हुए हैं उनसे पेड़ काटने के बाद वाकई एक लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या भी होगी। लोगों को अपनी रोजी-रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो यह लीज की प्रक्रिया को किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी फॉरेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट, 1980 अड़चन में है। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? उसके लिए यह हो सकता है कि वर्ष 1952 में जब यह नोटिफिकेशन किया गया और हिमाचल की सारी बन्जर जमीनों को फॉरेस्ट जमीन में उस नोटिफिकेशन के माध्यम से तब्दील कर दिया गया, तो इस नोटिफिकेशन को दुबारा से डिनोटिफाई करके इसके बारे में एक विचार करना पड़ेगा। तब जाकर यह जो फॉरेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट, 1980 तो उसी तरह लगता है जो वन भूमि है, जब हम भूमि का किस्म बदल देंगे, तो हम फॉरेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट, 1980 से बाहर आएंगे और तभी जाकर हम सही मायनों में अपने छोटे बागवानों जिनको आज बहुत दिक्कत हो रही है, उससे बचेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने तो बिजली और पानी काटने के ऑर्डर अपने फैसले में दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि इनका बिजली और पानी काटा जाए।

उसके बाद फिर एफ.आई.आर. की जाए। मैं एक बात सोच रहा था कि जो डी.एफ.ओज ने ऑर्डर किए हैं उन ऑर्डर के अगेन्स्ट कोई भी अपील में नहीं जा रहा है, अपील में जाकर स्टे भी तो लिया जा सकता है कि जब अपील चली हुई है तब तक ऑर्डर को कार्यान्वित न किया जाए। इसमें कहीं भी नहीं लग रहा है या तो हमारे किसान जानते नहीं हैं या वे अपील में जा नहीं रहे हैं। इस कारण डी.एफ.ओ.

29/02/2016/1545/RG/AG/2

के ऑर्डर फाइनल ऑर्डर हो रहे हैं। इसलिए इसमें यह भी सोचने की बात है कि हमारे जो लोग इस हाई कोर्ट के फैसले के कानून के दायरे में आ रहे हैं उनको डी.एफ.ओ. के ऑर्डर या तहसीलदार की 163 की कार्रवाई के अगेन्स्ट अपील में जाना चाहिए और स्टे लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।

समाप्त

29/02/2016/1545/RG/AG/3

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। लेकिन वे अनुपस्थित हैं। अब श्री बिक्रम सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री महेन्द्र सिंह जी ने नियम-63 के अन्तर्गत यह जो चर्चा, जिसमें प्रदेश के लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर लगाए गए सेबों के पौधों के कटान के बारे में है, यहां लाई है। इसमें बहुत सारे बिन्दू श्री महेन्द्र सिंह जी ने यहां रखे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की जो पहचान है उसमें सेबों का चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हो यदि कहीं भी कोई बात आती है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सेबों का नाम जुड़ता है। मैं

यह भी कहना चाहूंगा कि सेबों के कटान के बारे में सरकार हर साल वन महोत्सव मनाती है और आदरणीय मुख्य मंत्री जी की कई जगह यह अपील आती है कि ज्यादा-से-ज्यादा पेड़ लगाओ। प्रदेश या किसी देश में भी इस प्रकार का कानून नहीं होगा जहां हरे वृक्षों को काटने का इस प्रकार से फरमान जारी हुआ हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो बातें हैं जिनमें आपस में विरोधाभास है। यहां पर मंत्री महोदय बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो यह रूलिंग दे रही है कि हरे वृक्षों को काटा न जाए। अगर उनको काटा जाएगा, तो वह दण्डनीय अपराध है और हाई कोर्ट यह आदेश दे रही है कि सेबों के पेड़ों को काट दिया जाए। इन दोनों आदेशों में आपस में विरोधाभास है। लेकिन यह तब हो रहा है क्योंकि सरकार इस बारे में चिन्तित नहीं है। अगर सरकार को यह मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह रूलिंग दी है कि ग्रीन फैलिंग नहीं होनी चाहिए-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

29/02/2016/1550/MS/AS/1

श्री बिक्रम सिह जारी-------

अगर सरकार को यह मालूम है कि उच्चतम न्यायालय ने यह रूलिंग दी है कि कि ग्रीन फैलिंग नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ उच्च न्यायालय इस प्रकार की रूलिंग दे रहा है तो उसके बारे में हमें अपील और दलील करनी चाहिए। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश के अंदर अगर कोई बड़ा प्रोजैक्ट लगना है तो चाहे धारा 118 की बात हो या फॉरैस्ट क्लीयरैंस की बात है या कितना भी बड़े प्रोजैक्ट के लिए कितनी ही बड़ी क्लीयरैंस चाहिए हो, उसके लिए हमारा छः महीने का समय नहीं लगता। सारी- की-सारी क्लीयरैंस हो जाती है और प्रोजैक्ट लगने शुरू हो जाते हैं जिसमें कई प्रकार की वायलेशन्ज होती हैं । लेकिन उसके बावजूद भी सब-कुछ ठीक चलता है और दूसरी

तरफ गरीब व्यक्ति ने यदि सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है तो उस मकान की जमीन को सरकार के पास रेगुलराईजेशन करने के लिए कोई नियम नहीं है। उसके लिए नीति बनेगी, फिर चलेगी। मैं जब वर्ष 2003 में पहली बार यहां आया था तब से लगातार यही सुन रहा हूं यानी गरीब व्यक्ति के लिए नीति नहीं बनेगी। गरीब व्यक्ति का अगर बिजली या पानी का कनैक्शन कट जाता है तो उसके बारे में सरकार चिन्तित क्यों नहीं है? हम इन्स्टीच्यूशन्ज को बंद करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। हम कॉलेजिज को बंद करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं जा सकते जिसके कारण किसी गरीब व्यक्ति को राहत मिले। पहले क्या होता था कि लोग पटवारी के पास जाते थे और पटवारी से पूछते थे कि मुझे कौन सा पट्टा मिला है। पटवारी बता देता था कि आपको यह पट्टा मिला है। फिर 10 साल के बाद वही पटवारी वहां जाता था और कहता था कि तेरा पट्टा "ए" स्थान पर नहीं है बल्कि "बी" स्थान पर है। आप बताइए उस बेचारे गरीब व्यक्ति का उसमें क्या कसूर है? उसके बाद सरकार इस प्रकार का नियम भी नहीं निकाल रही है कि अगर किसी व्यक्ति ने "ए" स्थान पर मकान डाल लिया है और उसकी जमीन "बी" स्थान पर थी तो उसका तबादला कर दिया जाए। इन छोटी-छोटी चीजों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके

29/02/2016/1550/MS/AS/2

बारे में नीतिगत फैसला लेना बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र के अंदर पौंग डैम ऑस्टिज के छोटे-छोटे मकान बने हैं और उनके केसिज भी आज तक क्लीयर नहीं हुए हैं। यदि वे कहीं पर भी एक छोटा सा पौधा लगाने की कोशिश करते हैं या कोई फैन्सिंग करते हैं तो सरकार उनको नोटिस भेज देती है। इसलिए मेरा यही कहना है कि इन विषयों के ऊपर सरकार गंभीर नहीं है। गरीब व्यक्ति का काम करने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। गरीब व्यक्ति को राहत मिले इसके लिए पॉलिसी बनाने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। आज बड़ा अच्छा सुझाव आया कि 10 बीघा जमीन तो किसानों को मिलनी ही चाहिए। जब इस प्रकार के मामले आ रहे हैं कि हरे पेड़ कट रहे हैं तो सरकार ग्रीन ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं जाती? सरकार उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं जाती है?

इसलिए मेरा यही निवेदन है कि यहां पर जो चर्चा हो रही है, हमें इस चर्चा के माध्यम से इस प्रकार का नीतिगत फैसला लेना चाहिए जिससे गरीब लोगों को राहत मिले। ठीक है हम राजनीतिज्ञ लोग हैं। आप वहां से दूसरी बात करते हैं और हम इधर से कुछ अलग बोलते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि गरीब व्यक्तियों के सेबों के पेड़ काटे जा रहे हैं और अमीर व्यक्तियों के पेड़ों को नहीं छेड़ा जा रहा है। उसमें एक और पार्टी वाला विषय भी आ रहा है और उस बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मैं इसको देखूंगा। चलो अच्छी बात है। परन्तु आप यहां बोलते ही हैं लेकिन देखते नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों को हम गंभीरता से देखें और जो गरीबों को राहत मिल सकती है, जैसे चाहे ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाना है या उच्चतम न्यायालय में जाना है उसमें हमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

29/02/2016/1550/MS/AS/3

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल(मुख्य संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महेन्द्र सिंह जी ने जो नियम 63 के अंतर्गत प्रस्ताव लाया है, मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं।

अध्यक्ष जी, यह जो मामला है यह बहुत ही गंभीर है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि We are not here to encourage encroachment. मगर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे जो किसान हैं वे बहुत बड़ी दुविधा में है। जिनकी होल्डिंग एक बीघा, दो बीघा या उससे भी कम है, आज उनके साथ भी उसी तरह का बर्ताव हो रहा है जैसा बर्ताव 100 बीघा, 150 बीघा या 200 बीघा जमीन वाले एन्क्रोचर्ज के साथ हो रहा है। यह बहुत गंभीर समस्या है। इससे आज हमारी इकॉनोमी पर भी फर्क पड़ रहा है। सेब के पेड़ काटे जा रहे हैं और बागवान सेब पर ही आश्रित है। इसलिए इकॉनोमी पर तो फर्क पड़ेगा ही और हर तरह से किसानों के ऊपर समस्या बनी हुई है। इसका सरकार को समाधान ढूंढना चाहिए। हमें याद है पिछले सत्र के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी चिन्तित थे और पूरी सरकार भी चिन्तित थी और है मगर इस पर जो कोर्ट के आदेश हैं,

उसके आगे जिस तरह से लोगों के सुझाव आ रहे हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

29.2.2016/1555/जेएस/एएस/1
श्री नंद लाल, मुख्य संसदीय सचिव--------**जारी**---------

मगर इस पर जो कोर्ट के आदेश है और जिस तरह से लोगों के सुझाव आ रहे हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि उन सुझावों को लेते हुए सरकार ने जो हाई पॉवर कमेटी गठित की है वह कमेटी इस पर जल्दी से जल्दी ऐक्शन करें ताकि आगे होने वाला जो कटाव है उसको रोका जा सके।

अध्यक्ष महोदय, यह समस्या इस करके हुई कि 1952 में जो नोटिफिकेशन हुई थी कि जितनी भी लैंड थी वह सारी की सारी फोरैस्ट लैंड डिक्लेयर कर दी। फोरैस्ट लैंड डिक्लेयर होने के बाद इस पर कोई भी काम करना मुश्किल हो गया और सारे के सारे लोग एन्क्रोचमैंट के दायरे में आ गए। इसी तरह से उसके बाद 1980 में जब फोरैस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट आया उससे पहले जितने भी लोगों के कब्जे थे जिस पर मकान बनाये थे और उसमें उसके फादर, फोरफादर की, लोगों को पता तक नहीं था, वर्ष 1980 से पहले लोगों यह भी पता नहीं था कि यह जमीन किस हिसाब की है। जब सैटलमैंट शुरू हुआ सैटलमैंट के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि यह एन्क्रोचमैंट है इसमें तरह का काम हुआ है। इसमें मिसलें बनी है और लगभग 2 लाख 21 हजार 807 केसिज हैं। इसमें कांगड़ा जिला के अन्दर 40,388 केस हैं, ऊना जिला के अन्दर 13,459 केसिज है, हमीरपुर में 13,888 केसिज हैं, मण्डी के अन्दर, 32, 810 केसिज हैं, चम्बा के अन्दर 9,857 केसिज है, कुल्लू के अन्दर 3,571 केसिज है, शिमला के अन्दर 63,507 केसिज है, किन्नौर के अन्दर 13,365 केसिज है, लाहौल-स्पिति में 2,678 केसिज है, सोलन के अन्दर 8,427 केसिज है, बिलासपुर के अन्दर 11,749 केसिज है और सिरमौर के अन्दर 2,054 केसिज हैं। और जैसे अभी हाल ही में बिलासपुर के अन्दर सैटलमैंट कम्पलीट

हुआ और कई जगह चल रहा है, ये मिसलें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। इस पर सरकार को बहुत गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। उसके बाद यह हुआ कि वर्ष 2002 में जो सरकार ने पॉलिसी लाई थी उसमें प्रोविजन था कि एन्क्रोचमैंट लैंड 20 बीघा तक रैगुलराईज किया जा सकता है which is include private land also. 20 बीघा अपनी जमीन को मिला करके

29.2.2016/1555/जेएस/एएस/2

रैगुलराईज करने का उसमें प्रोविजन है। उस वक्त सरकार ने लोगों से एफिडेविट लिये और उनको रैगुलराईज करने की बात कही और उसके बाद उसका कुछ भी नहीं हुआ बल्कि उल्टा एन्क्रोचमैंट बढ़ गई। जब लोगों को पता चला कि इसको सरकार रैगुलराईज़ कर रही है तो जिसके पास 10 बीघा थी उसने 15 बीघे कर दी और जिसके पास 15 बीघे थी उसने 20 बीघा कर दी । इस तरह से एन्क्रोचमैंट और ज्यादा बढ़ा दी और उससे उल्टा हुआ। आज वे सभी लोग दोषी पाए गए हैं। जो उस समय एन्क्रोचमैंट हुई उस समय की सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों से उल्टे एफिडेविट बना करके और फंसा दिया और जो मिसलें हैं वे और ज्यादा बढ़ती चली गई। लोगों ने 50 रूपेय के ऐफिडेविट दिये और लोग उसमें अपने आपको फंसा के बैठ गये। अब जिस तरह के सजैशन्ज़ आ रहे हैं, एक तो भारत सरकार की स्वीकृति के लिए केसिज भेजे जा सकते हैं। एक जो पी.आई.एल. हैं, ग्रीन ट्रिब्युनल में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के भी आदेश मानने पड़ते हैं। इसके खिलाफ हम ग्रीन ट्रिब्युनल में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए ताकि इसका कोई न कोई समाधान हो सके। इसी तरह से जो नौतोड़ 1968 हैं इसमें भी अमैंडमैंट की जाए। जो नौतोड़ का सिलसिला है उसमें भी रैगुलराईज करने का कोई प्रावधान होना चाहिए। जैसे कि यहां पर माननीय उपाध्यक्ष, हि0प्र0 विधान सभा ने कहा कि लीज़ पर जमीन दी जा सकती है। यह भी एक अच्छा सुझाव है। कुछ जमीन का हिस्सा फिक्स करके लीज़ पर दिया जा सकता है। यह भी रैगुलराईज करने का एक तरीका हो सकता है। जो

स्पैशल केटैगरीज़ के लोग हैं शड्यूल कास्ट लोग है, लैंड लैस लोग हैं उसका भी प्रोविज़न बनाया जा सकता है। यह बेसिकली जो हमारी पॉलिसी बनेंगी उसके अन्दर इन लोगों को कवर किया जा सकता है। शड्यूल कॉस्ट लोग हैं, लैंड लैस लोग हैं उनको भी इसमें कवर किया जा सकता है।

29.2.2016/1555/जेएस/एएस/3

अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है सिर्फ यह है कि जो हाई पॉवर कमेटी है वह जल्द से जल्द अपनी एक रिपोर्ट बनाएं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय पहले से ही इस मामले में संवदेशील हैं और बहुत ही सीरियस हैं इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है। हाई पॉवर कमेटी इस पर अपने सजैशन्ज दें क्योंकि हमकों पी.आई.एल. में जाना हैं, हमें ग्रीन ट्रिब्युनल और सुप्रीम कोर्ट उसमें जाएं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

29.02.2016/1600/SS-DC/1

श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

ताकि हमारे जो गरीब किसान हैं जोकि बुरी पॉजिशन में हैं गम्भीर हालत में हैं उनको राहत मिल सके। यह मामला पूरे हिमाचल का है जो सेब की कटाई की बात हो रही है। माननीय सदस्य ने यह भी ठीक कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पेड़ न काटे जाएं, पेड़ लगाए जाएं, हम हर साल वन महोत्सव मनायेंगे, यह सब कुछ होता है। लेकिन इस तरह से जो वन की कटाई है, पेड़ के पौधों की कटाई है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसी तरह से अगर फिलहाल कुछ नहीं होता तो कम-से-कम चॉपिंग न किया जाए। इसे अपने कब्जे में ले लें जब तक कि उस पर फैसला नहीं होता। उसको

कवर करके फॉरैस्ट डिपार्टमैंट अपने कब्जे में ले। यही मुझे कहना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

29.02.2016/1600/SS-DC/2

अध्यक्षः अब श्री जय राम ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-63 के अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस माननीय सदन में आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने उठाई है। मैं भी उसमें भाग लेने के लिए और अपनी बात कहने के लिए उठा हूं।

अध्यक्ष महोदय, हम आपका भी धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा लाज़मी थी, आवश्यक थी उसे आपने एलाऊ किया। ऐसी परिस्थिति में जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होना था, उसका अनुसमर्थन होना था, उस पर चर्चा होनी थी जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उस पर भी आपने विचार करने के बाद निर्णय लिया कि इस ज्वलंत विषय में भी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जहां तक इसमें टैक्निकल चीज़ें हैं हम उसके बहुत ज्यादा जानकार नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन जो इस मुद्दे के कारण प्रदेश भर में परिस्थिति पैदा हुई है उससे हम परिचित हैं। इस विषय पर बहुत गरमागर्म चर्चा इस माननीय सदन में एक बार नहीं अनेक बार हुई है। हम कहते थे कि आपकी वजह से हुआ और वे कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ। मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ को विराम देने की आवश्यकता है। जिसकी भी वजह से है और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर कहीं भी आज की तारीख में ऐसी परिस्थिति बनी है उसमें दोष हम लोगों का भी है। इस दोष के लिए हम आज की तारीख में उन लोगों को सज़ा देने के पक्षधर नहीं है जिन्होंने जाने-अनजाने में थोड़ी बहुत एनक्रोचमैंट कर ली, जिस प्रकार से आज की तारीख में सभी लोगों ने कहा और स्वीकार किया। हां, इस बात से हमको वाकिफ होना चाहिए और सहमत होना चाहिए

कि जिन लोगों ने बड़े स्केल पर एक मकसद के तहत एनक्रोचमैंटस की हैं उनके पक्षधर न हम हो सकते हैं और मुझे लगता है कि न सत्तापक्ष के लोग हो सकते हैं तथा न होने चाहिएं। लेकिन उसके बावजूद जो छोटे-छोटे किसान/बागवान हैं जिन्होंने एक, दो या तीन बीघा थोड़ा बहुत अपनी मलकीयत जमीन के साथ कब्जा किया और कब्जा करने के बाद वहां पर काश्त कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं या सेब के पेड़ लगे हैं और वहां से फसल ले रहे हैं, वह उनके लिए एक रोज़गार का बहुत बड़ा

29.02.2016/1600/SS-DC/3

जरिया बना हुआ है। अचानक ऐसी परिस्थिति आए और माननीय हाई कोर्ट यह कहे कि तीन महीने के अंदर सारे अवैध कब्जों को काट दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चिन्ता का विषय उन परिवारों के लिए है। वे शायद रात को नींद भी आराम से नहीं ले पा रहे। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अब समय गवाए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह बात सत्य है...

जारी श्रीमती के0एस0

29.02.2016/1605/केएस/डीसी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---

यह बात सत्य है कि हम लोग महसूस करते हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय का भी सम्मान करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो कुछ अधिकार हमारे इस माननीय सदन को हैं, जिस पर यहां पर पक्ष या विपक्ष से कोई भी चर्चा करें लेकिन उसके बावजूद उसमें हाई कोर्ट के माध्यम से दखल देने की जो इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है, मुझे लगता है कि उसको रोकने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि आज सरकार कुछ नहीं कर रही है। हर मामले को

लेकर, हर दूसरे दिन हाई कोर्ट से आदेश आ जाता है कि यह करो। हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि है, चुनी हुई सरकार है। यह विषय उनका भी है । हां जब सरकार किसी विषय को ले कर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती, कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं हो पाती तो उस वक्त हाई कोर्ट का उसमें दख़ल देना वाज़िब होता है लेकिन हर मामले को ले कर, मैं मानता हूं कि इस तरह की बात हम सब लोगों के लिए, खासकर विधायकों के लिए जो हमारा विधायी कार्य है, उसके लिए चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक तो जो नाजायज़ कब्जा है, यह शब्द बोलने के लिए अच्छा नहीं है, इसको बोलते हुए भी बुरा लगता है लेकिन उसके बावजूद हम इसको जायज़ भी नहीं बोल सकते। एक तो बहुत ज्यादा तादाद में जो बिजली और पानी के कनैक्शन काटने का ज़िक्र हुआ, उस पर रोक लगाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया था

29.02.2016/1605/केएस/डीसी/2

लेकिन उसके बावजूद अभी भी यह दस्तूर जारी है इस पर मुझे लगता है कि इस पर तुरन्त जो भी किया जा सकता है, करें और इसके लिए क्या रास्ता निकालना है, सरकार को सोचना है। मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर और टैक्निकल रूप में विचार करने के बाद इस पर निर्णय लेना चाहिए कि इस पर कैसे रोक लग सकती है।

अध्यक्ष महोदय, 10 बीघा से ज्यादा जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको रियायत देने के पक्षधर हम भी नहीं है लेकिन जो इससे कम के लोग है जिनके पास थोड़ा कब्जा है, उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करें। हमें हैरानी हो रही है कि जब से हाई कोर्ट की खबरें अखबारों में आ रही है, दहशत का एक वातावरण खड़ा हुआ है और कुछ लोगों ने तो अपने स्तर पर ही पेड़ काटने शुरू कर दिए कि अगर सरकार समाधान नहीं निकाल पा रही है, इसलिए खुद ही पेड़ काट देते हैं । मेरे चुनाव क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं, वहां एक आदमी के जो कि एनक्रोचर था, उसके 2200 फलदार सेब के पेड़ काटने के

लिए 300 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर पहुंचे, उन हरे पेड़ों को काटने के लिए मशीन भी लाई गई और हरे पेड़ काटे गए। अब प्रश्न पैदा होता है, ग्रीन फैलिंग पर रोक है लेकिन वे सारे के सारे हरे पेड़ काट दिए गए। सारी चाजें कंट्राडिक्टरी है ।मुझे लगता है कि हम अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में ठीक प्रकार से नहीं रख पा रहे हैं। अब जब वे पेड़ काटे गए, उनको काटने की आवश्यकता थी या नहीं थी, इससे पहले यह भी विषय आता है कि क्या वे पेड़ कानून के दायरे में रह कर काटे जा सकते थे या नहीं काटे जा सकते

29.02.2016/1605/केएस/डीसी/3

थे? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जो छोटे-छोटे बागवान व किसान है, जिनके पास इस प्रकार के कब्जे हैं, उसके समाधान के लिए एक रास्ता निकल सकता है। जैसे उनको लीज़ पर कहने की माननीय सदस्य यहां पर बात कह रहे हैं, या यह कहा जा रहा है कि सरकार के लिए आय का साधन वह बने लेकिन उस परिस्थिति में कुछ हिस्सा जो उन किसानों/बागवानों ने वहां पर सेब के पेड़ लगाए हैं, बगीचा लगाया है उन के लिए भी कुछ राहत मिल सके, इस बात को ले कर आगे बढ़ा जा सकता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.2.2016/1610/av/ag/1

श्री जय राम ठाकुर ---- जारी

इन सारी बातों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विषय को बहुत लम्बा नहीं खींचना चाहिए। इसका जो हल निकाल सकते हैं उसको निकालना चाहिए। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो भी कह देना चाहिए। आज परिस्थिति यह बन गई है कि अगर हम इसका कोई हल नहीं निकाल सकते तो उन छोटे किसानों/बागवानों को हम झूठे वायदों में उलझा कर न रखें कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं और हम आपका

समाधान निकाल देंगे। जो कर सकते हैं वह कह देना चाहिए और जो नहीं कर सकते हैं वह भी कह देना चाहिए। ये छोटे किसान/बागवान चार दिन के लिए आराम से सोते हैं और चार दिन के बाद मान्य उच्च न्यायालय से आदेश आ जाता है जिससे वे परेशान हो जाते हैं, उससे राहत मिले इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस सारे मुद्दे को लेकर एकमत /सहमत है। आज तो मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि हम विपक्ष के नेता माननीय धूमल जी की बात से सहमत है। अच्छी बात है, अगर सहमत है तो आगे बढ़िए और इसका कोई समाधान निकालिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

29.2.2016/1610/av/ag/2

अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी बात कम-से-कम समय में समाप्त करें क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बोलने को शेष रहते हैं।

अब श्री रोहित ठाकुर जी बोलेंगे।

श्री रोहित ठाकुर (मुख्य संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन में हिमाचल प्रदेश से समबंधित नियम-63 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है। पक्ष और विपक्ष एक स्वर में चाहता है कि किसानों और बागवानों के साथ एक लम्बे समय से जुड़े इस विषय का कोई स्थाई समाधान निकले। जहां तक ऐनक्रोचमैंट की बात आती है यह किसी क्षेत्र विशेष में नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो अवैध कब्जों से अछूता होगा। सैटलमैंट के दौरान अभी तक ऐनक्रोचमैंट केसों की रिपोर्टिड संख्या 60 हजार से अधिक है। 60 हजार से अधिक मिसलें बन चुकी हैं और अभी भी कई जिलों में सैटलमैंट का काम चला हुआ है। इसके अलावा मुझसे पूर्व हमारे माननीय सदस्यों ने जो बात कही कि वर्ष 2002 में जो पॉलिसी आई थी उस दौरान भी दो लाख से अधिक फाइलें बनी है। आज पूरे सदन की, माननीय मुख्य मंत्री

जी, विपक्ष के नेता माननीय धूमल जी की यही सोच है। विशेषकर हमारे जो लघु और सीमान्त किसान हैं तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं इनका हित सुरक्षित हो। हमारे हिमाचल प्रदेश को देव भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह एक शांतिप्रिय प्रदेश है और निरंतर हमारी सरकारों के द्वारा विकास के मामले में एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। जिसमें हमारे किसानों और बागवानों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अगर जमीन कब्जों की बात करें तो हमारे लघु और सीमान्त किसानों की संख्या इसमें अधिकतर है। हमारे यहां 80-85 प्रतिशत लघु और सीमान्त किसान हैं। आज हम सबकी जो सोच है, हम सब जो चाहते हैं और इस हाउस की जो स्पिरिट है वह इस वर्ग के हित को सुरक्षित करना है। विशेष रूप से जो समस्या उत्पन्न हुई है वह फॉरैस्ट कनजर्वेशन ऐक्ट 1980 के आने के बाद हुई है। 1980 से पहले हमारे गांव के साथ लगती जमीनें थी उसमें चाहे वह शामलात जमीन की बात हो, बंजर जमीन की बात हो। यानि जो जमीन की किस्में थी जैसे आबादी देह की बात हो, बंजर कदीम, बाखल

29.2.2016/1610/av/ag/3

अव्वल, चरागाह इस तरह की जो भी आपकी गांव के साथ जमीनें हुआ करती थी जो कहीं

पर भी फॉरैस्ट रिकॉर्ड या रैवन्यू रिकॉर्ड में फॉरैस्ट लैंड के रूप में नहीं थी। 1952 की नोटिफिकेशन क्लब विद 1980 का जो हमारा फॉरैस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट है उसके बाद सरकार की जो पावर थी, हमारी पोपुलेशन 1951 के बाद जो चार गुणा बढ़ी है, आपकी लैंड होल्डिंग्ज कम हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विशेष रूप से लघु / सीमान्त किसान तथा वीकर सैक्शन के हितों की रक्षा कर पाये। यहां पर सेब की बात आई। हिमाचल निर्माता डॉ. यशवन्त सिंह परमार से

श्री टी सी द्वारा जारी

29-02-2016/1615/TCV/AG/1

श्री रोहित ठाकुर (मुख्य संसदीय सचिव)--- जारी

से लेकर निरन्तर हमारी सरकारों ने प्रयास किया। आज कोई साढ़े चार हज़ार करोड़ की इकोनॉमी हमारी सेबों की है। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर इस तरह की समस्या न हो। आज हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इसके लिए जो ज्डूशियल रेमेडी निकल सकती है, वह निकालनी चाहिए। श्री जय राम जी ने ठीक ही कहा कि लिगली हम इतनी बातों को नहीं जानते हैं। इसके लिए जो भी ज्डूशियल रेमेडी निकल सकती है, उसको एक्प्लोअर किया जाये। चाहे हमें हाईकोर्ट में फिर से रव्यू प्टीशन डालनी पड़े। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में एस0एल0पी0 करनी पड़े और भी जो ज्डूशियल रेमेडीज़ हैं, उसके द्वारा हल निकाला जाये। हिमाचल प्रदेश की छवि एक पीसफुल स्टेट की है। आप अपने साथ लगते राज्य की बात देख लीजिए। हरियाणा में क्या हुआ। पश्चिमी बंगाल और गुजरात में क्या हो रहा है। इसमें लाखों लोग इन्वॉल्वड है पिछले दो दिन पहले हाईकोर्ट का आर्डर आया है कि जितनी भी इनक्रोचमेंट है, वह तीन महीने के अन्दर हटाई जाएगी। लेकिन यह कोई प्रेक्टिकल आर्डर नहीं है। लैजिस्लेचर सुप्रीम है। एग्जैक्टिव सुप्रीम है। ज्डूशरी में जो हमारी सोच है उसको मैं समझता हूं एक कानूनी रूप देना है। आज जो हमारी हाई पॉवर कमेटी बनी है जिसके लिए मैंने लिखित रूप में अपने सुझाव दिए है, ये शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट दें और तब तक के लिए जो ये पेड़ों के कटान का मामला हुआ, उसको रोका जाये। हमारे जो लघु सीमांत और जो वीकर सैकशन है, जिनके बारे में हम सबको चिन्ता है, उनका नुकसान न हो। हिमाचल प्रदेश में आज तक किसी किसान व बागवान ने सुसाईड नहीं किया। लेकिन अगर इसी तरह से क्रम चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के उदाहरण देखने को मिलेंगे। जब हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे तो इसका जरूर कोई न कोई रास्ता

29-02-2016/1615/TCV/AG/2

निकलेगा। जिस तरह से 1960 और 1970 के दशक में सैंकड़ो इम्प्लाईज़ को नौतोड़ मिले थे, उन पर भी एक प्रश्नचिन्ह लग चुका था, लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्री ने इस मामले को टेकअप किया। इस संदर्भ में एस0एल0पी0 सुप्रीम

कोर्ट में की और सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टे मिला हुआ है। इसी तरह से इस मामले में भी जिस तरह से गम्भीरता दिखाई है, आगे भी दिखाई जाये। ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के हित सुरक्षित हो। आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के बहुत सीनियर सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने नियम-67 के अन्तर्गत काम रोको प्रस्ताव दिया था। लेकिन उसके पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के सुझाव पर इस सदन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। जैसे पहले चर्चा चली थी कि यह मैटर न्यायालय में है। लेकिन जब इस सदन के सदस्यों ने अपनी गरिमा को बताते हुए कहा कि हम कम से कम चर्चा तो कर ही सकते हैं, तो सदन के सभी सदस्यों ने अपने गौरव का निर्वाह करते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि जो अवैध कब्जाधारक है, उनके सेब के बगीचे का कटान करने के बारे में चिन्ता वयक्त करने के लिए आज ही के दिन नियम-63 के अन्तर्गत अल्प-कालीन चर्चा इस सदन में रखी गई है। मैं इस मान्य सदन में एक बात कहना चाहूंगा कि अभी पिछले सप्ताह ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की 'आपकी सरकार'/'अरविंद केजरीवाल की सरकार' जब सुप्रीम कोर्ट में गई कि जाट आन्दोलन के कारण पानी की ------

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

29.02.2016/1620/RKS/DC/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर .....क्रमागत

की जाट आंदोलन के कारण से पानी की गंभीर समस्या है, समाधान करो, तो अखबारों की हैडिंग थी कि 'अरविन्द केजरीवाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई।' तुम भी कुछ करो , हर बात को लेकर के आप कोर्ट में ही आएंगे और वापिस भेजा। उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय को अपना काम करना चाहिए यह अच्छी बात है। लेकिन

हर विषय न्यायालय में ही क्यों जाए? हम सबका भी कोई न कोई औचित्य होना चाहिए। माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी, जो अधिवक्ता भी रहे और सीनियर सदस्य भी हैं, एक बात कहते हैं कि जब सरकार कोई आदेश पारित करती है तो हमारी कार्यपालिका ढूलमूल तरीके से चलती है। लेकिन जब न्यायालय कोई आदेश पारित करती है तो हमारे सरकारी अधिकारियों में उसको इम्पिलिमेंट करने के लिए बिना सोचे समझे होड़ सी लग जाती है। आजकल तो एक ओर रिवाज चल पड़ा है कि किस जिलाधीश का, किस वन विभाग के अधिकारी का, किस एस.डी.एम. का नाम समाचार पत्र में छपता है कि आज वह 40 गरीब परिवारों के बिजली, पानी का कनैक्शन काट करके आ गया। यह बहुत बड़ी खबर छपती है ताकि उनकी ए.सी.आर. और नम्बर अच्छे बनें। यानी बिना सोचे समझे चलने की आदत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उससे पूरा प्रदेश आहत है। हाईकोर्ट का डिसिजन आता है 3 महीने के अंदर सबके पेड़ काट दो, पेड़ काट नहीं सकते हार्ड प्रूनिंग कर दो। उसके बाद अब तो यह भी कह दिया है कि हम सरकार को स्थाई नीति बनाने से भी रोक देंगे। क्या कार्यपालिका और सरकार का काम कुछ नहीं रहा? लेकिन आज इस मान्य सदन ने दिखाया है कि हम भी काम करेंगे, चर्चा करेंगे, जिन विषयों के लिए यह सदन बना है। चर्चा करने के लिए एक बहुत बड़ा काम पहले दिन भी किया गया। पीलिया का मामला, जो हाईकोर्ट में था, सदन ने अपनी गरिमा समझते हुए उस पर चर्चा की। जो सरकार ने हाई पावरड कमेटी बनाई है, कभी- कभी मुझे लगता है कि यह कमेटी नो पावरड कमेटी है। कार्यपालिका में जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं वे कोर्ट-कचहरी के नाम से इतना डरते हैं कि कलम हर कदम पर डर-डर के चलती है। इसमें लोकहित के मुद्दे, लोकहित की बात कहीं-

29.02.2016/1620/RKS/DC/2

न-कहीं दरकिनार होती है। मुझे ज्यादा टैक्निकल तो मालूम नहीं परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार की स्थाई नीति की बात करते

हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी भाग लेते हैं उसमें क्या इस माननीय सदन के सदस्य जो इस विषय पर अच्छी जानकारी रखते हैं, उनको सम्मिलित नहीं किया जा सकता? आज महेन्द्र सिंह जी ने जो विषय रखा मैं उसके लिए ठाकुर महेन्द्र सिंह जी को बधाई देता हूं कि इतना गहरा अध्ययन जनता के दर्द को समझते हुए इन्होंने किया है । मुझ जैसे सदस्य को इस प्रकार की कई बातें पहली बार पता चली। क्या ऐसा हो सकता है ताकि उस हाई पावरड कमेटी में कहीं-न-कहीं जान आ जाए? कुल्लू जिला के बारे में माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी ने कहा कि वहां पर 3,571 अवैध कब्जाधारक आनी, बंजार, कुल्लू-मनाली में हैं। वहां पर एक-दो, तीन बिस्वा वाले लोगों के बिजली, पानी के कनैक्शन काटे गए। पिछली बार आपने एक पत्र सबके टेबल में भेजा था जिसमें यह कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करते हैं कि 10 बीघा से कम लोगों पर कार्रवाई रोकी जाए जब तक हम.....

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी....

29.02.2016/1625/SLS-AS-1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर.....जारी

लेकिन लगता कि इस सदन की बातों को या तो उन्होंने अनदेखा किया या माना नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे एक और बात का निवेदन करता हूं। हमारे पास एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल्ज की एक बहुत बड़ी फौज है। तब भी यह क्यों लगता है कि यह सब अपना काम कार्य-कुशलता के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम रोज समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि 'हाई कोर्ट से सब-के-सब सरकार के विरुद्ध फरमान।' इसलिए यह लगता है कि लोकहित के मुद्दों पर इस माननीय सदन के सदस्यों के विचार लिए जाएं और उन एडवोकेट्स की भी सरकार को क्लास लेने की आवश्यकता है ताकि जनता के हित सुरक्षित हों। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जिन बिश्वा, दो बिश्वा या तीन बिश्वा एनक्रोचमैंट करने वाले छोटे लोगों के पानी-बिजली के

कनैक्शन काटे गए, वह लगने चाहिए। उसके बाद जो 10 बीघा से कम एनक्रोचमैंट के केसिज हैं, उनके लिए स्थाई नीति बने। एक मेरा और निवेदन है। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव आया कि हमें सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि इस सदन की ताकत को पहचानते हुए, यहां के सब माननीय सदस्य मिल-जुलकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर दें जिस पर किसी को पुनर्विचार करने की आवश्यकता न पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौक़ा दिया। मैं अब इतना ही निवेदन करूंगा कि इस दिशा में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि अब कुछ-न-कुछ काम करने की आवश्यकता है और ऐसा काम करना है ताकि ऐसे सब लोगों को, जो हम सबको देखते हैं कि हमारी मदद कर पाएंगे या नहीं, उन्हें भरोसा मिले। लेकिन हम भी एक ही जवाब देते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम राजनीतिज्ञ तुम्हारे हितों की रक्षा कर नहीं सकते।

29.02.2016/1625/SLS-AS-2

हम भी इतने शक्तिहीन हो जाते हैं! इसलिए ठीक पॉलिसी बनाकर हम जनता के साथ न्याय कर पाएं, मैं इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-63 के तहत माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव इस सदन में लाया है उस पर बोलने का आपने मुझे मौक़ा दिया जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के अंदर बागवानों और किसानों के ऊपर विपत्ति आई है। हिमाचल प्रदेश की सारी जनसंख्या 70 लाख है और 2-1/2 लाख के करीब हिमाचल प्रदेश में एनक्रोचमैंट के केसिज चले हुए हैं। यहां एक परिवार में 5-5,

6-6 या 10-10 सदस्य होते हैं। हिमाचल प्रदेश की 10 लाख आबादी आज इस समस्या से ग्रस्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया है, कोई भी इस सभा का सदस्य या हिमाचल प्रदेश का नागरिक उससे सहमत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़मीन है; चाहे रेलवे की ज़मीन है या चाहे आर्मी की ज़मीन है, वहां से भी एनक्रोचमैंट अभी तक पूरी तरह से हटी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं वह बहुत ही दुखद है और हिमाचल प्रदेश के गरीब किसान भाई इस बात से बहुत ही आहत हैं। इसमें बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका 40-50 सालों या दो-तीन पीढ़ियों से ज़मीन पर कब्जा था। सैटलमैंट वालों ने उसको फोरैस्ट लैंड बनाकर केस बना दिया है।

जारी... श्री गर्ग जी

29/02/2016/1630/RG/DC/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा----क्रमागत

फॉरेस्ट लैण्ड बनाकर उनका केस बना दिया। फॉरेस्ट सैटलमेंट में भी हजारों मामले ऐसे हैं जिनकी उन्होंने गलत ऑनरशिप दी या गलत डिमारकेशन की है। जो यह प्रक्रिया चली है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट लैण्ड की यदि कोई डिमारकेशन होती है उसके लिए नायब तहसीलदार या उससे ऊपर का अधिकारी ही उसको कर सकता है। जितने भी ये अतिक्रमण के मामले हुए हैं इसमें पटवारियों ने अपनी रिपोर्ट देकर आगे परस्यु किया है उसी पर ही सबकी फाईलें बनी हैं। इसका प्रॉपर्ली सिस्टम अडॉप्ट नहीं हुआ है और जो भी हमारे पुराने गांव हैं, वहां मालिकाना हक़ हमारा नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, वह मुश्तरका खाता होता है और उसमें सभी का अधिकार होता है। उसमें भी सैटलमेंट वालों ने फाईलें बनाकर, अतिक्रमण की फाईलें बनाकर जिसमें हमारी कई पीढ़ियों का पांच-पांच या दस-दस पीढ़ियों से जिनका कब्जा था, उनकी भी फाईलें बनाकर फॉरेस्ट में भेज दीं जिसमें 50-50 साल पुराने

हमारे पौधे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में अभी मेरे चुनाव क्षेत्र चौपाल में कुछ पौधे ऐसे कटे जिनकी एक या दो बीघे में ऐनक्रोचमेंट थी और माननीय उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया था उन पेड़ों की प्रूनिंग करनी थी, परन्तु कुछ अधिकारियों उन पेड़ों को जड़ से ही काट दिया जिससे हमारे किसान भाई बहुत ही आहत हुए। यह बात सही है कि अतिक्रमण को शुरू में ही रोकना चाहिए था। एक बात यह भी सही है कि जो दस बीघा से ऊपर की ऐनक्रोचमेंट है उनको किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और विभाग ने जो कार्रवाई की है, मैं इस माननीय सदन में सबको अवगत करवाना चाहता हूं कि विभाग ने उन पर कार्रवाई की है जिनके 10 बीघे से ऊपर कब्जे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक भी ऐसे आदमी के पेड़ नहीं कटे होंगे जिन मामलों में दस बीघे से कम कब्जा है, जो छोटे किसान-बागवान हैं, सभी जगह विभाग ने उन पर ही कार्रवाई की है। यह एक बहुत दुःखद कार्रवाई है और कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, जैसे मेरे चौपाल मण्डल में जिसने सौ बीघे पर कब्जा किया है, सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन विभाग ने केवल एक या दो बीघे जमीन पर कब्जों वालों पर ही कार्रवाई की है।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वाच्च न्यायालय से यह डिसीजन हुआ है कि इस देश में आने वाले समय में कोई भी ग्रीन फेलिंग नहीं होगी। लेकिन हाई कोर्ट डिसीजन देता है, तो कम-से-कम इस पर कार्रवाई हुई, तो करोड़ों हरे वृक्ष हिमाचल प्रदेश में

कटेंगे। इसके लिए अगर माननीय मुख्य मंत्री जल्दी-से-जल्दी ये आदेश पारित करें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन की जाए जिससे ये जो करोड़ों पेड़ प्रदेश में कटने हैं, वे बच जाएं। उसके लिए यहीं नहीं, कोई-न-कोई पॉलिसी बने। हिमाचल प्रदेशमें पॉवर प्रोजैक्ट्स लग रहे हैं, बड़े-बड़े पॉवर प्रोजैक्ट्स को लाखों पेड़ों को काटने की अनुमति मिल जाती है। फिर उस पर वे लीज मनी हिमाचल प्रदेश सरकार को देते हैं। इसमें भी

जो हमारे किसान-बागवान भाई हैं उनको वे लैण्ड लीज पर दे सकते हैं। लीज से प्रदेश को राजस्व भी आएगा और इसके साथ-साथ समाज का कमजोर दबका भी अपलिफ्ट होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह आग्रह करुंगा कि जल्दी-से-जल्दी इस मामले में ग्रीन ट्रिब्युनल में इसके लिए पूरा केस तैयार करके ले जाएं और जो माननीय हाई कोर्ट से इस मामले में डिसीजन हुआ है उसमें स्टे लगे। इससे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जिसमें जो हमारे छोटे किसान-बागवान भाई हैं वे बहुत दुःखी हैं और कुछ किसान भाई हैं जिनके पास शाम की रोटी नहीं है। उनके अपने खाने-पीने की व्यवस्था आसानी से चले, इस प्रकार की सरकार प्रदेश में नीति बनाए। दस बीघे से नीचे कब्जे वाले हमारे जितने भी किसान भाई हैं----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

29/02/2016/1635/MS/DC/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी-------

पास टोटल अपनी और एन्क्रोचमैंट की 10 बीघा से नीचे लैण्ड है उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनें ताकि वे अपनी दो वक्त की रोटी आराम से कमा और खा सके। इसके लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है वह हफ्ते, दस दिन या पन्द्रह दिन के अंदर इसी विधान सभा में कोई ऐसी गाइड लाइन्स लाएं जिससे हमारे समाज के गरीब तबके के लोग अपलिफ्ट हो सकें और उससे उनकी दो वक्त की रोटी आराम से चल सके।

उपाध्यक्ष जी, मेरा चौपाल चुनाव क्षेत्र बहुत ही बिखरा हुआ है। इसमें सैटलमैंट वालों ने जो केसिज बनाए हैं वे स्पॉट पर नहीं बनाए हैं। वहां पर बहुत सारे डंकार हैं और अन्य भी कई दिक्कतें हैं। वहां पर बहुत सारे ऐसे केसिज हैं जिनमें जहां पर मालिकाना हक था उसको वहां पर न दर्शाकर कहीं और दर्शाया गया है और जहां पर कब्जा था वहां पर वन भूमि दर्शा दी। इसलिए अगर यह प्रॉपरली एन्क्रोचमैंट हटानी है तो सबसे

पहले रि-सैटलमैंट होनी चाहिए ताकि जिस मालिक का हक है उसको उसकी जमीन का पूरा मालिकाना हक मिले और उसके बाद एन्क्रोचमैंट को हटाया जाए। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

29/02/2016/1635/MS/DC/2

उपाध्यक्षः अब चर्चा में श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः उपाध्यक्ष जी, जो यहां नियम 63 के तहत विषय उठाया गया है, खासकर जो आजकल सेबों के पेड़ों का कटान चला है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

वैसे मुझसे पूर्ववक्ताओं ने एन्क्रोचमैंट के बारे में काफी डिटेल में बातें कह दी हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं भी आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह जो आजकल एन्क्रोचमैंट को हटाने की मुहिम चली हुई है यह स्थिति माननीय उच्च न्यायालय में फाइल हुई पी0आई0एल0 से उत्पन्न हुई है। आजकल एन्क्रोचमैंट के अवीक्शन ऑर्डर की मुहिम चली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमारी सेब बेल्ट जिसमें मेरा चुनाव क्षेत्र भी आता है, वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा मेरी जानकारी के अनुसार है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अन्यों जगहों पर नुकसान नहीं हुआ होगा, वहां भी हुआ होगा। जैसाकि मेरे से पूर्ववक्ताओं ने कहा कि कई जगह बिजली और पानी के कनैक्शन काट दिए गए और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सेब के पेड़ों का कटान रोहडू डिवीजन में हुआ है। हालांकि आदेश उच्च न्यायालय के हैं। इससे दो-तीन महीने पहले भी सेब के पेड़ कटान की काफी मुहिम चली थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में आपने यहां इस सदन में वक्तव्य दिया था और हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई थी और साथ-ही-साथ माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यु पीटिशन भी फाइल की थी जिसके बाद कटान की यह मुहिम बन्द हुई थी। अब यह मुहिम दुबारा से चल पड़ी है। मैं दिनांक 27 फरवरी की बात बताता हूं। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए हैं कि जिनके पास 10 बीघा से ऊपर की एन्क्रोचमैंट है उसको छः हफ्ते के अंदर हटाया

जाए,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

29.2.2016/1640/जेएस/एजी/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः---------जारी-------

इसके अलावा यह भी ओदश किए गए हैं कि जिसके पास 10 बीघा से नीचे की एन्क्रौचमैंट है उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ की जाए। साथ ही यह भी आदेश हुआ है कि इसकी डे-टू-डे मॉनिटरिंग हो। मेरा अपना विचार है कि यह बहुत ही सख्त ऑर्डर है। बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है। इस आदेश से तो कोई भी नहीं बचेगा। एक बिस्वा वाला भी नहीं बचेगा और 10 बीघे से ऊपर तो बचेगा ही नहीं। साथ ही यहां पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा कि हम भी कोई ऐसी ठोस नीति क्यों न बनाएं जिससे कि हाऊस की भी गरिमा बनी रहे। उस ऑर्डर के अनुसार कुछ डी0एफ0ओज0 की ट्रांसफर हुई थी वे भी रद्द की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इस माननीय सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी रोहड़ू चुनाव क्षेत्र में भी एन्क्रोचमैंट के बहुत सारे केसिज हैं। अगर मैं डिविजन की बात करूं तो इसमें हमारे श्री रोहित ठाकुर जी भी इफैक्ट होते हैं। इसमें हजारो की संख्या में लोग है जो मैंने आज की डेट में सूचना कलैक्ट की है। एक हमारा गांव खुड़सू हरिजन बस्ति का है। वह गांव कई वर्षों से वहां पर बसा है। अब लग रहा है कि वह पूरे का पूरा गांव एन्क्रोचमैंट में है और उसके अनुसार तो वह सारे का सारा गांव ऐविक्ट हो जाएगा। कई ऐसे गांव है जहां पर कई केसिज ऐसे हैं जिनमें पुरानी एन्क्रोचमैंट सामने आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने ठीक ही कहा कि यह एन्क्रोचमैंट की स्थिति वर्ष 1980 में जब फोरैस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट लागू हुआ था उसके बाद एन्क्रोचमैंट के केसिज ज्यादा हुए हैं। यह बात ठीक है कि हमारा हिमाचल प्रदेश सेब की फसल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है। अगर ऐसी ही स्थिति रही,

सेब के पौधों का कटान होगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सदन के समक्ष कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि जैसा भी निर्णय हो, जो भी ठोस नीति बनें, जैसी भी बने, चाहे वह 10 बीघा तक की बनें, ऊपर-नीचे

29.2.2016/1640/जेएस/एजी/2

की बने यानि जो भी बनें तब तक हमें माननीय उच्च न्यायालय में कोई रिव्यू पटिशन फाईल करनी होगी। इन्टेरिम ऑर्डर लेना होगा कि यह जो एन्क्रोचमैंट की मूव चली है इसको तब तक बन्द किया जाए। इसके लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या दूसरी फोरम में जाना पड़े तब तक यह तो अभी इमिजिएट रिलीफ की बात है। मेरी जानकारी के अनुसार मेरे चुनाव क्षेत्र रोहडू में यह मूव चली हुई है। अभी भी यह मूव चली हुई है। वहां पर जो भी अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनसे मेरी बात हुई है वे कहते हैं कि यह आदेश तो हाई कोर्ट के हैं। हमारी तो नौकरी चली जाएगी यदि हम इन आदेशों को नहीं मानेंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हमें तो आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई उपाय किया जाए जब तक की कोई नीति न बन जाए। नीति जैसी भी हो मैं यह नहीं कहूंगा कि जो 10 बीघा से ऊपर के हैं उनको ऐविक्ट किया जाए। जो भी कानून बनेगा वह सब के लिए बराबर होगा। हमारे छोटे किसान जो कि गरीब किसान है, कमजोर वर्ग है, वही इसमें ज्यादा अफैक्ट हुए हैं। उसमें क्या कारण रहा है कि कभी उनकी ऐविक्शन हुई होगी और उनसे लिखवा कर ले लिया होगा कि मैंने खाली कर दिया और उन्होंने न कोई अपील की न कोई दलील की वही लोग इसमें इफैक्ट हो रहे हैं। जो इसमें बड़े-बड़े बागीचों वालें हैं और जैसे कि यहां पर वर्मा जी ने कहा कि मेरे चौपाल में 100-200 बीघे वाले भी है। उन एन्क्रोचर्ज तक तो अभी बात ही नहीं आई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात ज्यादा न कहते हुए अंत में यहीं आग्रह

करूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई ठोस नीति बनाई जाए। उससे पहले जो माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर जल्दी से जल्दी विचार किया जाए। उसमें इन्टेरिम एप्लिकेशन देनी पड़े, रिव्यू पटिशन फाईल करे, चाहे अपील में जाना पड़े यानि जहां भी जाना पड़े वह बहुत जरूरी है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

29.02.2016/1645/SS-AG/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा क्रमागतः

वह बहुत ज़रूरी है उसमें हमारे पास समय नहीं है क्योंकि कार्रवाई चली हुई है। 27 तारीख का माननीय उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है वह बहुत सख्त ऑर्डर है। मैंने उस ऑर्डर को पढ़ा है और उसमें यह कहा गया है कि डे-टू-डे मोनिटर किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

उपाध्यक्षः अब माननीय महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से विशेष परिस्थितियों में नियम-63 के अन्तर्गत यह चर्चा हो रही है जोकि अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यह प्रसन्नता का विषय है कि यह चर्चा सब राजनीति से ऊपर उठकर कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें खुलकर इस पर अपनी बात कहनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महेन्द्र सिंह जी ने विभिन्न जिलों में कितनी एनक्रोचमैंटस हैं उसके आंकड़ें रखे हैं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कांगड़ा जिला की ओर दिलाना चाहूंगा। कांगड़ा जिला इसलिए कह रहा हूं कि 1966 से पहले कुल्लू, लाहौल-स्पिति, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर सब कांगड़ा जिला के अभिन्न अंग थे और सम्भवतः जो कांगड़ा का सैटलमैंट हुआ वह मिस्टर एंडरसन ने 1880 में कम्प्लीट किया। जब कम्प्लीट हुआ, उससे पूर्व जब वे कुल्लू के

मैदान में आए और उन्होंने वहां देवदार के पेड़ देखे तो एक दुर्भाग्य की बात कर गए कि उन्होंने एक नयी किस्म सैटलमैंट पैदा कर दी। बाकी स्थानों पर डिमार्केटिड फॉरैस्ट है। अन-डिमार्केटिड फॉरैस्ट है। फर्स्ट क्लास फॉरैस्ट है। सैकिंड क्लास फॉरैस्ट है। थर्ड क्लास फॉरैस्ट है। लेकिन कांगड़ा जिला एक ऐसा है जहां इसके अतिरिक्त थर्ड क्लास फॉरैस्ट लैंड है। जिसकी परिभाषा है कि land without forest, but forest can be grown. वे देवदार के पेड़ ढालपुर मैदान में हमारे लिये जानलेवा साबित हो गए। उस वक्त इस सारी भूमि को, जिसमें वन नहीं थे, वन भूमि कह दिया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि बाकी जगह सड़कें

29.02.2016/1645/SS-AG/2

बनती हैं। जहां पेड़ नहीं हैं, वहां अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुल्लू मात्र एक जिला और कांगड़ा का कुछ भाग ऐसा है कि हमारे घर के बाहर ही तृतीय वन भूमि है। अगर सड़क भी बनानी पड़ती है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को उसके बदले में मुआवजा देना पड़ता है वन लगाने के लिए और वह पैसा वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत लिया जाता है। उसके बाद जो बची हुई कसर थी, जो शामलात भूमि थी, सारे प्रदेश में शामलात भूमि पर वन विभाग का कोई अधिकार नहीं था चाहे वह शिमला, सिरमौर या कुल्लू है। उस पर पंचायत तक पट्टा देने का अधिकार रखती थी। उस पर हम लोग कब्जा रखने का अधिकार रखते थे। आबादी देह थी। शामलात भूमि थी। मैंने एक प्रश्न भी पूछा है कि आखिर प्रदेश में कितनी शामलात भूमि थी और यह शामलात भूमि 1975 तक अपने अधिकार क्षेत्र में थी। पंचायत पट्टे देती थी। चरागाह थी। आबादी देह थी और जिसका कब्जा होता था उसकी ओर चली जाती थी। ये कब्जे उस वक्त के हैं। सम्भवतः ज्यादा कब्जे हिमाचल प्रदेश में 1975 से पहले के हैं और जो हमारे वन में अधिकार थे उनको एंडरसन ने सुरक्षित रखा, चाहे लकड़ी निकालने के या चाहे जड़ी-बूटी खोदने के या चाहे अन्य अधिकार इमारती लकड़ी के हैं। ये सब अधिकार आज भी उस सैटलमैंट में और शर्त-वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज़ हैं और वे कायम हैं। लेकिन यह भाग्य की विडम्बना है कि जब 1980 का ऐक्ट आया तो उस समय तत्कालीन सरकार से कहीं-न-कहीं कोताही हो गई। अपने अधिकार के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी कि यह वन भूमि नहीं है, यह भूमि हिमाचल प्रदेश की है और वह भूमि भी सारी नोटिफाई हो गई

और उसके साथ ही 1975 आया तो जितनी शामलात भूमि है उसका मालिक भी वन विभाग हो गया..

जारी श्रीमती के0एस0

29.02.2016/1650/केएस/एएस/1

श्री महेश्वर सिंह जारी----

उसका मालिक भी वन विभाग हो गया और एडवर्स पोजैशन भी तो कोई चीज है। दादा-पड़दादा के समय से लेकर लोगों ने घर बनाए। बच्चों की तरह पेड़ को पाला। सेब का पेड़ अगर पूरे योवन पर आता है तो 15 साल लग जाते हैं और एक आदेश से, प्रूनिंग का आदेश हुआ लेकिन उसकी जगह पावर चेनर ला कर पेड़ काटे गए और ऐसे रुंड-मुंड कर दिए कि उनमें आगे के लिए कुछ हो ही न। एक तरफ ग्रीन फैलिंग पर रोक है तो क्या ये फलदार वृक्ष हरे-भरे नहीं है? इन पर आरा चल सकता है लेकिन लोगों को टी.डी. देने में हरा पेड़ नहीं काटा जा सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, पार्लियामैंट को है और उस कानून की परीधि में इन्साफ करना अदालत के हाथ में है लेकिन आज उल्टा हो गया। अदालत कानून बना रही है और अनुपालन हम को करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निकलना होगा अन्यथा एक दिन आएगा कि कोई भी काम हम उनके वगैर नहीं कर सकेंगें, उनके आदेशों का पालन होगा। यह अच्छी स्थिति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, लाहौल स्पिति की स्थिति भिन्न है, किन्नौर की स्थिति भिन्न है। वहां पर जितनी भूमि नज़र आती थी, उन दिनों ऐसा चलन था कि लोग उस भूमि पर खेती करते थे। ज्वाइंट फैमिली है, बहुपति प्रथा है, यहां कहा जा रहा है कि 10 बीघा से गुज़ारा हो जाएगा लेकिन प्रश्न यह है कि जो जनजातीय क्षेत्र में देश के प्रहरी बैठे हुए हैं, बॉर्डर एरिया में हैं, क्या वे अपना गुज़ारा कर पाएंगें ? चार-चार, पांच-पांच भाइयों की एक पत्नी है, एक परिवार है, किस प्रकार से काम चलेगा? क्या उनका गुज़ारा

29.02.2016/1650/केएस/एएस/2

हो जाएगा? अगर ये देश के प्रहरी जो ट्राईबल एरिया से निकलकर बाहर आ जाएंगें तो बॉर्डर का पहरा कौन करेगा? पहले ही वहां से माईग्रेशन हो रही है और इसको अगर ज्यादा बढ़ावा दिया जाए तो यह देश हित में, राष्ट्र हित में नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से क्लैरिफिकेशन ली कि जो भूमि जहां कोई स्कूल भवन बना है या कोई अन्य भवन बने हैं उसका क्या किया जाए तो वहां से स्पष्ट निर्देश आए कि एक हैक्टेयर भूमि तक जो पोजैशन में है उसमें डी.सी. को पट्टा देने का अधिकार है और यही नहीं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, यह भी लिखा गया है कि अगर उस भूमि पर 75 तक पेड़ हैं, तो वह देने का अधिकार भी डी.सी. को है। सिर्फ वन अधिकार समिति और ग्राम सभा का प्रस्ताव चाहिए। एक तरफ अदालत इस प्रकार के निर्णय दे रही है दूसरी तरफ अदालत कहती है कि चाहे आपकी एडवर्स पोजैशन है, दादा-पड़दादा से लेकर है, इनको उजाड़ो। यहां कहा गया कि जिसके पास 10 बीघा से ज्यादा है, उस पर तो कार्रवाई हो लेकिन कम से कम उसके पास 10 बीघा तो बचे। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी के पास 50 बीघा है तो पूरी ही उजाड़ देनी है । उस 10 बीघा को अगर किसी और को देना है तो दीजिए । एक बात तो अदालत को भी सोचनी चाहिए कि ये फलदार पेड़ डबल काम करते हैं। ये ऑक्सीजन भी देते हैं और पौष्टिक आहार भी देते हैं। ये हाईड्रोजन पैदा नहीं करते। इनको क्यों काटे? क्यों न इनको रहने दिया जाए? अगर कहीं ये जंगल के नज़दीक लगाए गए हैं तो वहां वन विहार

29.02.2016/1650/केएस/एएस/3

बना सकते हैं ताकि कम से कम बंदर ही उनको खा लें। काटने से क्या मिलने वाला है? जहां तक छोटे लोग हैं, मैं मानता हूं कि उनके कब्जे 1975 के बाद भी हुए हैं लेकिन वे छोटे-छोटे लोग हैं। कुछ लोगों को तो सरकार ने बसाया है जब बाढ़ आई थी, भू-सख्लन हुआ। भू-सख्लन होने के बाद गड़सा में, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में एक शारदा

नगर बसा। वहां कुल दलित जो पहाड़ में बसते थे, वह पहाड़ बह गया इसलिए उनको बसाया, उनके ततीमे कटे हुए हैं और वे उन पर काबिज है। उनको बिजली मिली, पानी मिला परन्तु इस आदेश के अनुसार सब उजड़ गए। उनकी बिजली और पानी काट दिया गया। वे कहां जाएंगे? वे छोटे-छोटे लोग है और इसकी लपेट में वे भी आ गए। तो ये दो प्रकार के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। सरकार गहनता से विचार करें। इस बात को सोचना होगा कि न्यायपालिका बड़ी है या विधायिका बड़ी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.2.2016/1655/av/as/1

श्री महेश्वर सिंह---- जारी

विचार करे। इस बात को सोचना होगा कि न्यायपालिका बड़ी है या विधायिका बड़ी है। कानून कौन बनायेगा यह भी तय हो जाना चाहिए। यहां कहा जा रहा है कि अपील की जाए। मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने इसी वर्ष सम्भवता 21 अगस्त को इस मान्य सदन में एक वक्तव्य दिया और कहा कि हम इसके लिए एक नीति तैयार करके मान्य उच्च न्यायालय से दरख्वास्त करेंगे और नीति दस्तावेज देंगे। मुझे यह जानकारी नहीं है कि वह नीति दस्तावेज तैयार हो गया है या नहीं हुआ। अगर उसमें कोई विलम्ब हुआ है तो निश्चित रूप से उसे समय रहते तैयार करना चाहिए। जैसे यहां पर कहा गया कि कई बार अधिकारी डरते हैं कि ऐसा कर दिया तो न्यायालय डांटेगा। क्या हम स्वतंत्र रूप से बैठकर तथा उसमें कुछ ऐसे जन प्रतिनिधियों को बीच में डालकर जो इन नियमों से वाकिफ हो; सब मिल/ बैठकर विचार करें और 15-20 दिन के भीतर जल्दी-से-जल्दी एक नीति तैयार करके दे दें, उसका असर देखें तथा उसके बाद न्यायालय में जाने की बात करें। ऐडवर्स पोजैशन का कानून भी तो सरकार ने बनाया है किसी और ने नहीं बनाया है। क्या वह सारा कानून समाप्त हो गया है? फिर एक सांस में यह कहा जा रहा है कि दस बीघे तक तो सबको जमीन मिलनी ही चाहिए और वह भी इसी न्यायालय का

फैसला है। तो क्यों ने इसे दस बीघे में ऐडजस्ट किया जाए। एक हैक्टेयर में जब आप कहते हैं कि पोजैशन में है तो दे दो तो अगर किसी व्यक्ति के पोजैशन में दस बीघे हैं और वह भी कई वर्षों से तो क्या वह एक हैक्टेयर में बगीचा लगाने का अधिकार नहीं रखता? 75 पेड़ काटने की बात तो कह दी कि स्कूल के लिए दे दो तो जो लोग है जिन्होंने कब्जे किये हैं क्या उनको रेगुलेराइज नहीं किया जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस ओर कदम उठाने चाहिए और इसके लिए जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़े वह लड़नी चाहिए ताकि आगे इस प्रकार का बिहेवियर कोई न करें। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

29.2.2016/1655/av/as/2

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी, फॉरैस्ट राइट ऐक्ट के तहत 12 बीघे यानि एक हैक्टेयर तक जमीन देने का अधिकार डी.एफ.ओ. को है। यह ऐक्ट में क्लीयर है और यह वन समितियों की सिफारिश पर दे सकते हैं। हमने अपने जिला किन्नौर में इस ऐक्ट का दर्जनों स्कीमों में फायदा उठाया है। (---व्यवधान---) नहीं, आप कह रहे हैं न। डी.सी. को नहीं डी.एफ.ओ. को पावर है।

अब लास्ट वक्ता श्री सुरेश भारद्वाज जी बोलेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : मैं छोड़ रहा हूं आप श्री नरेन्द्र ठाकुर जी को बुलवाइए।

उपाध्यक्ष : श्री बलदेव तोमर जी और श्री मनसा राम जी भी बोलने के लिए शेष रहते हैं। (---व्यवधान---) आप छोड़ रहे हैं तो लास्ट में श्री नरेन्द्र ठाकुर जी बोलेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुर जी।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-63 पर बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यहां पर हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बड़ी डिटेल में चर्चा की है। यहां पर सभी ने सही कहा क्योंकि आज यह स्थिति बहुत चिन्ताजनक बनी हुई है। यह बड़ी विस्फोटक स्थिति है क्योंकि जिनके घर 30-40 वर्ष पहले बने हुए हैं आज उनके घरों का बिजली/पानी का कनैक्शन काटा जा रहा है। यह भी सत्य है कि जिन्होंने 20-30 साल पहले बगीचे लगाये हैं आज उन बगीचों को काटा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की नौबत क्यों आई। जब एच.पी.लैंड रैवन्यू ऐक्ट बना था तो यह इसी हाउस ने पास किया था और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उसी डैफिनेशन को आज यहां हाउस में प्ले किया जाए तो हाउस वाले सभी इकट्ठा होकर उसको वैसा-का-वैसा पास कर देंगे। कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि सरकारी भूमि पर कोई प्राइवेट आदमी ऐनक्रोचमैंट करें।-----

श्री टी सी द्वारा जारी

29-02-2016/1700/TCV/DC/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर --- जारी
लेकिन हुआ क्या जो भी पिछली सरकारें रही है, उन्होंने एक्ट तो बना दिया। एक्ट को इम्पलीमेंट भी कर दिया और उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जहां जिसकी इन्क्रोचमेंट पाई जाएगी, वहां उस भूमि पर से बेदखल कर दिया जाएगा। एक्ट तो बन गया और एक्ट को इम्पलीमेंट कोर्ट ने करना है। इसको एग्जिक्यूट कार्य-प्रणाली ने करना है। सरकार की डारेक्शन चली गई और कोर्ट ने उसको पूरी तरह से इम्पलीमेंट किया। जितने भी केसिज़ लगे हुए थे, उन सभी केसों में इजेक्टमेंट के आर्डर हो गए। लेकिन जब उन आर्डरज़ को इम्पलीमेंट करने की बारी आई, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार की डायरेक्शन चली गई कि इन आर्डरज़ को बॉक्से में ही रहने दो। इनको मौके पर जाकर इम्पलीमेंट मत करिए। आज यह हालत हो गए हैं कि ऐसे हजारों केसिज़ हैं, जिनका फैसला हो चुका है,जिनके इजेक्टमेंट के आर्डर हो गए हैं लेकिन वह मौके पर जाकर एग्जिक्युिट नहीं हुए। अब हम कह रहे हैं कि हाईकोर्ट गलत कर रहा है। एक्ट तो हमने बनाया और उसको इम्पलीमेंट हाईकोर्ट ने करना है। हाईकोर्ट एक्ट से बाहर

नहीं जाएगा। यदि आज सरकार इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चली जाये तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई रिलीफ देने वाला नही है। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा इतना कह देगा कि मकान मत गिराओ, उसको सरकार अपने कब्जे में ले लें। पेड़ मत गिराओ उसको अपने कब्जे में ले लो। लेकिन उस एक्ट की डेफिनेशन के तहत वह आपको मालिक नहीं बनाएगा। ये नौबत क्यों आई? इसका कारण है कि पहले सरकार सोई रही और अब जब इसको इम्पलीमेंटेशन की बात आई तो हा-हाकार तो मचना ही था। परन्तु यह सब हो चुका है। अब इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? जब तक यह एक्ट रहेगा, यह गाज़ हमारे ऊपर गिरती रहेगी। अब अमैंडमेंट हमें करनी पड़ेगी। इसमें क्या रेमेडिकल सुजैशन्ज़ आ सकती है? जैसे श्री महेश्वर सिंह जी ने कहा कि यदि किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर तीस साल से ऊपर का कब्ज़ा है तो बाई-वे-ऑफ एडवर्स पोजैशन वह उस ज़मीन का मालिक बन सकता है। ये केस लड़े जा चुके है। ये प्ली वहां ली जा चुकी है। एडवर्स पोजैशन की प्ली भी ली जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे-के-सारे आर्डर हो चुके हैं। अब हमारे पास इस एक्ट को अमैंड करने के अलावा कोई और

29-02-2016/1700/TCV/DC/2

चारा नहीं है। मेरी कॉन्सटीच्यूसी के अन्दर 37 ऐसे लोगों के बिजली और पानी के कनैक्शन काटने के आदेश हुए हैं, जिनके बजुर्गों के पुराने मकान हैं। दो-तीन पीढ़ियां वहां पर रह चुकी है और आज वे बिजली और पानी से महफूज़ है। एक ओर तो आप कह रहे हैं कि हम हर गांव व हर घर तक सड़क पहुंचाएंगे और आज उनके बिजली और पानी भी सनैच कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम जितनी जगह में उनके घर बने है, उनकी उतनी जगह ले ली जाए या उसकी मार्किट वैल्यू ले ली जाये। वरना मकान के बिना वह कहां रहेंगे। उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। उन्होंने लाखों रूपया खर्च करके घर बना लिया है, लेकिन उस टाईम तो सरकार ने कुछ नहीं किया। घर बनने दिया, उनको रहने दिया। उनके घरों में बिजली व पानी भी लगा दिया। लेकिन जब हाईकोर्ट के आदेश आये तो पहले उनकी बिजली व पानी के कनैक्शन काट दिए और फिर कुछ दिनों में इजेक्टमेंट भी हो जाएगी। सरकार यह भी नहीं कर सकती है

कि सरकारी भूमि को रेवड़ियों के भाव बांट दें। ये सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है कि सरकार सरकारी भूमि की प्रोटेक्शन भी करें। ऐसी भी कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है कि जो छोटे बागवान है, उनको 5-7 साल तक सेब के बगीचों से सेब लेने दिए जाये और उसके बाद ऑटोमेटिकली सरकार उन पेड़ों की मालिक बन जाएगी। आपके पेड़ भी बचे रहेंगे और यदि कोई लैंडलैस आदमी है, उसको वह लैंड लीज़ पर दे दी जाये। लेकिन यदि हाऊस में यह सुजैशन आए कि -------

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

29.02.2016/1705/RKS/DC/1

श्री नरेन्द्र ठाकुरः यदि हाऊस में ऐसी सुजेशन आए कि जितनी भी सरकारी जमीन है उसको बांट दो, यह गलत है। इसके पक्ष में, मैं नहीं हूं। लेकिन जिनको यह जमीन बंट चुकी है, उनको पैसा, कोई रिलिफ या लीज पर देकर कोई न कोई प्रावधान यह हाऊस निकालें। एक बार फिर मैं इस हाऊस का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का जवाव देंगे।

29.02.2016/1705/RKS/DC/2

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, नियम-63 के अंतर्गत यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, जिसमें पक्ष-विपक्ष के माननीय विधायकों ने अपने-अपने विचार रखे। इसचर्चा में और भी माननीय सदस्य भाग लेना चाहते थे,परन्तु समय कम होने की वजह से वे अपना योगदान नहीं दे पाए। मगर जो बातें कही जानी चाहिए थी, वे बातें कही गई हैं। उन बातों को फिर से दोहराने की कोई आवश्यक्ता भी नहीं थी। माननीय उच्च न्यायाल ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों से संबंधित कई मामलों में विभिन्न आदेश पारित किए हैं। ये सभी आदेश अन्तरिम हैं। विभिन्न मामले अभी भी विचाराधीन हैं और समय-समय पर विभिन्न आदेश सरकार को प्राप्त हो रहे हैं व सरकार की अनुपालना पर सरकार से रिपोर्ट ली जा रही है।

इसी सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित किए गए थे कि वन भूमि पर जिन-जिन लोगों ने कब्जा करके सेब के बागीचे लगाये हैं उन्हें तुरन्त वहां से हटाया जाए। साथ ही यह भी आदेश दिए गए थे कि इस भूमि पर खड़े सेब के पौधों को काट दिया जाए तथा दोबारा इस पर किसी प्रकार की बागवानी न होने दी जाए। इस आदेश की अनुपालना करने के लिए वन तथा राजस्व विभागों के अधिकारियों को निजी तौर पर जिम्मेवार ठहराया गया है। इसी प्रकार के अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि सभी अवैध कब्जों के मामलों में बिजली व पानी के कनैक्शन काट दिए जाए। मैं इस सदन को यह बताना जरूरी समझता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय निरन्तर समय-समय पर इन आदेशों की अनुपालना संबंधित अधिकारियों से शपथ पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर रहा है।

मैंने इस सदन में यह घोषणा की थी कि अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई से निर्धन, सीमान्त किसान एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को जो कठिनाई हुई है व विशेषतौर से जो उनकी आजीविका पर विपरीत असर पड़ा है उसका समाधान करने का प्रयास सरकार करेगी। इस माननीय सदन ने भी एक संकल्प पारित किया

29.02.2016/1705/RKS/DC/3

था जिसमें इस वर्ग के लोगों को राहत देने की बात कही गई थी। यह संकल्प माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था तथा माननीय न्यायालय से यह अनुरोध किया गया था कि जब तक इस संकल्प के अनुरूप सरकार नीति निर्धारित नहीं कर लेती तब तक अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। परन्तु इस पर अभी तक न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त अवैध कब्जे नियमित करने की नीति पर उच्च न्यायालय से यह भी अनुरोध किया है कि इस मामले की शीघ्र सुनवाई कर निर्णय दिया जाए। सरकार इस विषय में जल्द ही नीति निर्धारित कर लेगी परन्तु इससे पूर्व माननीय न्यायालय से अनुमति लेनी होगी, जिस ओर

सरकार प्रयासरत है। माननीय सदस्यों द्वारा जो बहुमूल्य सुझाव आज दिए गए हैं, सरकार इन सब पर.....

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी....

29.02.2016/1710/SLS-AG-1

माननीय मुख्य मंत्री .....जारी

सरकार इन सब पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उचित कार्रवाई करेगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये आदेश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन हो रहा है, वह गरीबों के हित में नहीं हैं। सरकार की हमेशा नीति रही है कि जो गरीब है, भूमिहीन है, समाज के दबे हुए लोग हैं, उनमें से जिनके पास मकान नहीं हैं उनके लिए मकान बनाए जाएं; ज़मीन नहीं है तो एक सीमा तक उनको ज़मीन दी जाए ताकि वह अपना गुज़र-बसर कर सकें। सरकार आज भी इस नीति पर कायम है। इस समझते हैं कि अगर हम अपने गरीब लोगों को, भूमिहीन लोगों को, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर नहीं दे पाते, भूमिहीन को थोड़ी-सी भूमि नहीं दे पाते जिससे वह अपना गुज़र-बसर कर सके तो हमारा जो उद्देश्य है, हम उससे विचलित हो रहे हैं, हट रहे हैं। दूसरी ओर न्यायपालिका ने एक अलग सा रवैया अख्तियार किया है। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि आज मिल-जुलकर ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि वृक्षों की रक्षा हो, जंगलों की भी रक्षा हो। जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिन्होंने सरकारी भूमि पर या वनों के ऊपर अवैध कब्जा करके मकान बनाए हैं या बगीचे लगाए हैं, उनके लिए अलग नीति हो और जो गरीब है, छोटा और दबा हुआ आदमी है, अपना गुज़र-बसर करने के लिए कुछ बीघे ज़मीन जिसके कब्जे में है, मैं समझता हूं कि उनके लिए अलग से नीति होनी चाहिए। दोनों को एक ही तराजु में नहीं तोला जा सकता। इसके लिए हम कोशिश करेंगे और यदि आवश्यकता होगी, हम उस पर चर्चा भी करेंगे और आगे जो भी

कार्रवाई उचित होगी, वह करेंगे।

29.02.2016/1710/SLS-AG-2

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो माननीय उच्च न्यायालय ने कट ऑफ डेट दी है कि इस पीरियड़ के बीच में संबंधित अधिकारियों को ये पेड़ काटने हैं। दूसरी तरफ आपने जन-भावना यहां पर दर्शाई। लेकिन जब तक आप इसके ऊपर कोई ठोस नीति नहीं लाते, कोई टाईम-बाऊंड प्रयास नहीं करते, तब तक तो यह सारी-की-सारी चर्चा रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। माननीय मुख्य मंत्री जी, दो-सवा दो घंटी तक यह चर्चा हुई ..

मुख्य मंत्री : जो आपने कहा है, हमारी भी यही भावना है और हमारी इसके बारे में पहले भी नीति थी, अब भी है और आवश्यकता होगी तो और ठोस नीति बनाएंगे। उसको भी अगर चुनौती में बदला जाए, then we will take further steps.

श्री महेन्द्र सिंह : सर, गा, गे,गी में मत करो कि अगर आवश्यकता होगी। सर, जब पूरा हाऊस और दोनों पक्ष के सदस्य इस बात से सहमत हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसकी आवश्यकता है; जब आवश्यकता है तो आप तुरंत इस पर कोई-न-कोई निर्णय लें ताकि प्रदेश के लोगों को, उन बागवानों के जिनके घर उखाड़े जा रहे हैं, पानी-बिजली के कनैक्शन काटे जा रहे हैं, वह कम-से-कम ऐसा महसूस करें कि नहीं, सरकार हमारे पीछे हिमाचल पर्वत की तरह खड़ी है। अन्यथा इतनी चर्चा करने के उपरांत जो निर्णय हुआ, हम समझते हैं कि यह निर्णय तो न के बराबर है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम सबकी माननीय मुख्य मंत्री जी से विनती है कि इस पर आप कोई टाईम बाऊंड नीति बनाएं, समयसीमा के अंदर इस हाऊस के

अंदर ही इस पर कोई नीति बन जाए क्योंकि आजकल हमारा बजट सत्र चला हुआ है।

जारी... श्री गर्ग जी

29/02/2016/1715/RG/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह की हिन्दी के पश्चात

Chief Minister : I have taken note of your concern.

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे इस हक़ में नहीं हैं कि पेड़ कटें। छोटे लोगों को इससे राहत मिले। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह आज ही जो पानी और बिजली के कनैक्शन काटने के आदेश हैं, उन पर रोक लगाने के कोई आदेश देंगे? क्योंकि इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने पॉलिसी बनाने पर भी स्टे दिया हुआ है, तो जब तक कोर्ट के ऑर्डर का स्टे वैकेट नहीं हो जाता, पॉलिसी तो ये बना ही नहीं सकते हैं। क्या अगर कानून में कोई संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, जो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी होगा, तो क्या जैसे शाहबानो केस पार्लियामेंट द्वारा निरस्त किया गया, उसी प्रकार से इस केस में भी कोई कानून में संशोधन करने का बजट सत्र के दौरान ही विधेयक ये सदन में लाएंगे ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में एक और ऑर्डर आया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस नीति को बदलने की भी इजाजत नहीं है, यह कहा है। मैं समझता हूं कि यह जो सरकार है या जो हमारी विधान सभा है उनके जो राइट्स हैं, यह उसके ऊपर प्रहार है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम फिर से इस बात को हाई कोर्ट के सामने लाएंगे कि विधान सभा को और सरकार को किसी भी नीति को बदलने का या उसको आगे बढ़ाने या पीछे करने का पूरा अधिकार है। कोई भी कोर्ट हमारे इस अधिकार को छीन नहीं सकता। This is contrary to the Constitution of India. हम इस बात को फिर से उठाएंगे । दूसरी बात यह है कि पहले कोशिश करेंगे और यदि आवश्यकता होगी, तो हम आगे कानून बनाएंगे या संशोधन करेंगे **जोकि बहुत जल्दी**

हम इस सदन में पेश करेंगे। मगर इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है उनको भी अपने साथ मिलाएं। हम उनके साथ कोई टकराव नहीं चाहते। मगर मैं समझता हूं कि सरकारके अपने अधिकार हैं, विधान सभा के अपने अधिकार हैं, न्यायपालिका के अपने अधिकार हैं, इनके बीच में कोई सुपरमेसी की बात नहीं है। सबको अपनी-अपनी जगह अपने दायरे में रहकर काम करना है।

29/02/2016/1715/RG/AG/2

अध्यक्ष : श्री बलबीर सिंह वर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो अभी हाल ही में माननीय हाई कोर्ट ने 27 तारीख को आदेश पारित किए हैं उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उसके अगेन्स्ट कोई स्टे लें और वह इसलिए लें कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही ग्रीन फेलिंग पर पूरे हिन्दुस्तान पर टोटल बैन किया हुआ है। ग्रीन फेलिंग हमारी टोटल बैन हो सकती है अगर इस मामले को हम सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे, तो अच्छा रहेगा क्योंकि कम-से-कम इसमें करोड़ों पेड़ कटने हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसको जल्दी-से-जल्दी सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, तो इस पर पूरा स्टे मिल सकता है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा **है हमने उसका संज्ञान लिया है और इसको भी ध्यान में रखेंगे। यह बहुत ज्वलन्त समस्या है, हम इसको बहुत देर तक उलझने नहीं देंगे। आपका जो प्वाइंट ऑफ व्यु है, we will examine. जो आपका प्वाइंट ऑफ व्यु है, उसको भी ऐग्जामिन किया जाएगा।**

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

29/02/2016/1720/MS/AS/1

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, कोई-न-कोई निर्णय या भले ही माननीय मुख्य मंत्री जी जो इस सदन के सदस्य हैं आप इस सदन में किसी ऐसी समिति का गठन करें ताकि वह समिति इस पर गहन विचार करें। उस समिति में ऑफिसर्ज भी बीच में बैठें और इसमें एक गहन चिन्तन इस बारे में हो यानी कोई-न-कोई इसका रास्ता निकाले। क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील मामला है। ऐसे आश्वासनों से किसी के पेट भरने वाले नहीं है। इसलिए आप कोई-न-कोई वे-आउट निकालिए।

मुख्य मंत्रीः चर्चा हो गई है। बाद में मिल-बैठकर रास्ता निकाल लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः सर, कुछ पता तो चले। सदन से किसी बात को छिपाया नहीं जा सकता है। सदन सर्वोच्च है। कोई-न-कोई फैसला तो ले लो कि "हां" हम ऐसा करेंगे।

मुख्य मंत्रीः मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा का अपना अधिकार है। Nobody can stop the Vidan Sabha for passing or amending any law; it has full power for that. इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्युडिशरी को अपने दायरे में रहना है, विधान सभा को अपने दायरे में रहना है और सरकार को अपने दायरे में रहना है and the Government is democratic elected Government. It functions with the help and support of the Vidhan Sabha and the Vidhan Sabha is supreme.

Speaker: So, the Government will take care as patron and take action in the interest of the people.

29/02/2016/1720/MS/AS/2

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा होगी।

अगली मद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुति है। इस प्रस्ताव पर चर्चा हेतु कुल पांच दिन निर्धारित हैं। माननीय मुख्य मंत्री दिनांक 4 मार्च को चर्चा का उत्तर देंगे। समय की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तावक को 35 मिनट, अनुसमर्थनकर्ता को 25 मिनट व विपक्ष के नेता को 35 मिनट का समय रखा है जबकि अन्य सदस्यों को 12 से 15 मिनट का समय उपलब्ध रहेगा। अतः मैं चाहूंगा कि सभी

माननीय सदस्य इस समय-सीमा में ही रहकर अपनी-अपनी बात रखें और जिन-जिन बिन्दुओं पर चर्चा हो चुकी हो उन्हें पुनः न दोहराएं। अगर मान्य सदन सहमत है तो इस मद को अभी इन्ट्रोड्यूस करवा देते हैं और चर्चा कल से शुरू करवा देंगे।

सभी सदस्यगणः अध्यक्ष महोदय, ठीक है।
अध्यक्षः अब श्री जगजीवन पाल जी अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगजीवन पालः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो सदन में 25 फरवरी, 2016 को अभिभाषण दिया गया, उसको प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 25 फरवरी, 2016 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

29/02/2016/1720/MS/AS/3

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएः-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 25 फरवरी, 2016 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

अब माननीय सदस्य आप अपना रेजोल्यूशन बोलिए।

श्री जगजीवन पाल श्री जे0के0 द्वारा----

29.2.2016/1725/जेएस/एएस/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव): इस सदन में एकत्रित सदस्य महामहिम् राज्यपाल महोदय का दिनांक 25 फरवरी, 2016 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 2016 को महामहिम् राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां विधान सभा में पढ़ा है, वह सारा अभिभाषण काबिले तारीफ है। पिछले तीन वर्षों में हमारी कांग्रेस सरकार ने आदरणीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी ने, पूरी सरकार ने, प्रदेश के लोगों के हित में जो भी अच्छे निर्णय लिये हैं और उनका फायदा पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को चाहे वह किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी वर्ग से हो, सभी को भरपूर फायदा पहुंचा है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अभी-अभी पंचायतों के चुनाव बिना किसी भेदभाव और बिना किसी लड़ाई-झगड़े के पूर्ण हुए हैं, उन चुनावों में भारी संख्या में जनता ने एक पर्व की तरह हिस्सा लिया है उसके लिए सारे प्रदेश वासियों का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं प्रदेश वासियों का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि 70 प्रतिशत के लगभग कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों को चुना है, उसके लिए सरकार ने जो काम किया है उसका सच भी सामने आया है। इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री, उनके साथियों को और हमारे पंचायती राज मंत्री, श्री अनिल शर्मा जी को भी बधाई देता हूं कि ये भी इन चुनावों को सफलतापूर्वक करवाने में कामयाब हुए हैं, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महामहिम् राज्यपाल महोदय ने इसमें जिक्र किया है, वैसे तो मुख्य मंत्री जी को बधाई दी है क्योंकि 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं को कानून के मुताबिक दिया गया था। माननीय धूमल जी ने यह किया था तो इनको भी धन्यवाद। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में महिलओं के विकास के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए जो काम किए उससे प्रेरित हो करके, उसको समर्थन देने के लिए महिलाएं पुरज़ोर तरीके से बाहर आई उससे जो 50 प्रतिशत उनका हक कानून के

29.2.2016/1725/जेएस/एएस/2

अनुसार बनता था, लेकिन उसके बावजूद भी 58 प्रतिशत महिलाओं ने पंचायती राज चुनाव में हिस्सा लिया।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

29.02.2016/1730/SS-DC/1

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

हमारा कांगड़ी भाषा का लहजा कुछ और है। हम अठवंजा बोलते हैं और बाकी अठावन बोलते हैं और जो 58 प्रतिशत महिलाएं बाहर पंचायती राज में भाग लेने आई हैं, वह प्रदेश सरकार के लिए मुबारक की बात है। मैं उसके लिए प्रदेश सरकार को एक बार फिर मुबारकवाद देता हूं। मुख्य मंत्री महोदय आपने तीन वर्षों में जो काम किये, खास करके ग्रामीण इलाकों में किये उसके लिए बधाई के पात्र हैं। एक काम जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के एम0एल0ऐज़ हों या हमारी कांग्रेस पार्टी के एम0एल0ऐज़ हों, हम सब की एक प्रार्थना रहती थी कि समाज में एक ऐसी सैक्शन है, ऐसे कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल हो गई है। चाहे उनके लड़के सरकारी नौकर हैं या नहीं हैं लेकिन वे बुजुर्ग मन से चाहते थे कि हमें भी किसी-न-किसी तरीके से कोई पैंशन मिले। वह पैसा हमारी जेब में आए और उससे अपने छोटे-छोटे पोती-पोतियों को 10 या 20 रुपये अपनी तरफ से दे सकें। वह जो उन लोगों की सोच थी उसको आपने पूरा किया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको बधाई देता हूं। उनको बिना किसी आय सीमा के 1100 रुपये पैंशन लगा करके एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके अतिरिक्त महंगाई बढ़ी है। दिल्ली में अब जो सरकार आई है उसके आने के बाद इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। पहले मकान बनाने के लिए 48500/- रुपया मिलता था, आपने उसको 75000/- रुपया किया। यह भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके अतिरिक्त आपने गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज दिए। एक बड़ा रिवाज था कि वे शहरों में खोले जाते थे और गांव के बच्चे-बच्चियों को शहर की तरफ दौड़ना पड़ता था, बसों के लिए लड़ना पड़ता था लेकिन आपने तीन वर्षों में 7

महाविद्यालय गांव में खोले हैं जहां इनका लड़कियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उन कॉलेजिज़ में लड़कियों की ही संख्या ज्यादा है। वह भी आपका बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। आपने हर विधान सभा में एक आई0टी0आई0 स्थापित की है। हमारा प्रदेश कौशल विकास की तरफ बढ़ रहा है। यहां आहिस्ते-आहिस्ते इंडस्ट्री भी आ रही है और कौशल विकास की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। मैं इसके लिए उद्योग मंत्री, श्री अग्निहोत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे प्रदेश में इस चीज़ की कमी है कि हमारे पास कुशल कारीगर कम हैं चाहे वे इलैक्ट्रीकल ट्रेड में हों, चाहे वे बैल्डिंग ट्रेड में हों या चाहे बाकी ट्रेडों में हों। हमारे प्रदेश में ये

29.02.2016/1730/SS-DC/2

आई0टी0आईज़0 हर विधान सभा क्षेत्र में खुली हैं उसका फायदा हमारे नौजवान लड़के-लड़कियों को मिलेगा। आने वाले समय में इसके अच्छे नतीज़े सामने आयेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बावजूद हमारे प्रदेश में इन तीन वर्षों में मेडिकल कॉलेजिज़, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई0टी0आई, आई0आई0टी0, आई0आई0एम0 खुले। आई0आई0एम0 जो नाहन में खुला है, बड़ी खुशी की बात है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि उसके पहले बैच के 21 बच्चों की कैम्पस सिलैक्शन हो गई है और वे वहां से अपनी-अपनी नौकरियों पर चले जायेंगे। यह प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। सब लोगों ने देखा होगा कि जो 21 बच्चे थे उनका अखबार में फोटो आया और उसे देखकर हमें भी गर्व महसूस हुआ कि वाकई हमारे प्रदेश में भी एक अच्छा आई0आई0एम0 खुला और वहां से एकदम कैम्पस सिलैक्शन हो गई है तथा वे नौकरी पर जा रहे हैं। एन0आई0टी0, हमीरपुर से भी बच्चों की कैम्पस सिलैक्शन हो रही है, और भी ऐसे संस्थान हैं जिनसे बच्चों की कैम्पस प्लेसमैंट हो रही है। वह हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा प्रदेश एजुकेशन के हिसाब से समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है..

जारी श्रीमती के0एस0

29.02.2016/1735/केएस/डीसी/1

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव जारी---

समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जहां तक सड़कों की बात है, सड़कों के बारे में भी ओवरऑल कोई कमी नहीं रखी गई है। हमारा प्रदेश टूरिज्म के लिहाज से एक बहुत ही सुन्दर प्रदेश है। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आएं, इसके लिए हमारे पास जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, बाकी साधन है, परिवहन व्यवस्था है, वह जितनी अच्छी होगी,टूरिस्ट उतने ज्यादा आएंगें। कानून व्यवस्था जितनी अच्छी होगी और यहां पर जितनी स्वच्छता होगी, हमारे प्रदेश में पूरे संसार से व पूरे देश से पर्यटक आएगा और प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए मुख्य मंत्री जी आपने जो प्रयास किए हैं उसके रिज़ल्ट्स सामने हैं। दो फोर लेन सड़कें, एक बिलासपुर वाली और एक परवाणू वाली दोनों के कार्य शुरू हो गए हैं यह आपने हमारे प्रदेश को इन तीन वर्षों में तोहफ़ा दिया है। यह भी सरकार और मुख्य मंत्री जी के लिए बधाई की बात है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे पी.टी.ए. शिक्षक है, कॉंट्रेक्ट कर्मचारी हैं, उनको राहत दी गई है । उन नौजवानों को आपने समय पर राहत दी है और आने वाले समय में वे पक्के होने के सपने देख रहे हैं, आपने उनकी तरफ ध्यान दिया, यह भी बहुत अच्छा कदम उठाया गए है। किसान वर्ग के लिए आपने तीन साल में कई किस्म की रियायतें देने की कोशिश की है ताकि हमारा किसान चाहे होर्टिकल्चर से सम्बन्धित हो, चाहे एग्रिकल्चरिस्ट हो या फ्लोरिकल्चर से सम्बन्धित काम करता हो

आपने इन सभी क्षेत्रों में किसान को राहत देने की कोशिश की है । आज जो मसला आया है यह तो अलग मसला है लेकिन इन तीन सालों में जो भी कार्य हुए हैं, सरकार की काम करने में कामयाबी रही है, वह सराहनीय है इसमें कोई दो राय नहीं है। महामहिम् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 80 बिन्दु है। सभी पर चर्चा करने लगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा । इन पर चर्चा हुई भी है और मेरी भी चर्चा करने की

इच्छा है लेकिन समय की पाबन्दी है ।

इसके बावजूद मुख्य मंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय भी है क्योंकि जो हमारे तीन पड़ौसी प्रदेश है, वैसे तो यह राष्ट्रीय स्तर पर ही चिन्ता का विषय है लेकिन हमारा जो पड़ौसी प्रदेश पंजाब है, पंजाब में मिली-जुली सरकार है । अकालियों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । वहां जो हालात इस वक्त है, जिस तरीके से वहां का नौजवान नशे की गर्त में चला गया है, मेरे ख्याल में आने वाले समय में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगें, कौन सी सरकार आएगी और कैसे उसको उभारेगी? उसका दुष्प्रभाव हमारे प्रदेश में भी हो रहा है। बड़े दुख की बात है कि वहां पर अकालियों के साथ, अकाली सरकार के जो कुछ मंत्री हैं, उनके जो रिश्तेदार है, वे हैरोइन के बड़े-बड़े व्यापारी है और उनके ऊपर आरोप लगे हैं, पकड़े गए हैं। उनके पास बड़ी-बड़ी खेपें पकड़ी गई है और भारतीय जनता पार्टी वहां उनके साथ चिपकी हुई है। अगर थोड़ी सी भी सोच प्रदेश के लिए होती तो भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ वहां नहीं रहना चाहिए था। इस वक्त जो हालात वहां हो गए हैं, उसका असर हमारे बॉर्डर एरिया में देखने को मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रदेश हमारे साथ हरियाणा है । जो वहां पर 10-15 दिन पहले हुआ वह बड़े शर्म की बात है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

29.2.2016/1740/av/ag/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)---- जारी

वहां तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। (---व्यवधान---) सुनने की हिम्मत रखो। वहां तो भारतीय जनता पार्टी की प्योर सरकार है। वहां जो कुछ हुआ, इतना शर्मनाक है। यहां पर आन्दोलन तो बड़े-बड़े हुए। आज़ादी का आन्दोलन हुआ और महात्मा गांधी जी उस वक्त कोई प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति नहीं थे। (---व्यवधान---) मैं आ रहा हूं, बोल रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखो। आप सुनने की हिम्मत रखो और मैं सब्जैक्ट पर बोल रहा हूं। आपने इससे ज्यादा बोल लेना। (---व्यवधान---) मैं जे.एन.यू. पर भी बोलूंगा। आपने वहां पर जो (---व्यवधान---) ऐसा लग रहा था कि वहां पर सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मरुथल में जो रात के एक बजे से सुबह पांच बजे तक हुआ है वह हर टी.वी. चैनल पर आ रहा है। क्या आपने उसको देखा कि वहां पर क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई सरकार नहीं है। (---व्यवधान---) यह हमारे लिए शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बिल्कुल फेल हो गई और दिल्ली की सरकार भी फेल हो गई। ऐसा लग रहा था कि दोनों सरकारों को कोई लकवा मार गया है। वहां 5-6 दिन जो हालात बने उसका असर हमारे प्रदेश के ऊपर भी हुआ। हुआ क्या? मैं अपने गांव की बात सुनाता हूं। वहां श्री स्वरूप चन्द, पुत्र श्री झौंपी राम की जिस दिन शादी थी और उसकी बारात जानी थी मगर उस रुकावट/आन्दोलन की वजह से वह अपने घर नहीं पहुंच सका और शादी की डेट बदलनी पड़ी। ऐसा कइयों के साथ हुआ है। कई मामले ऐसे हैं, कई लोग दिल्ली से आ रहे थे तो वे वापिस दिल्ली चले गए। ऐसे हालात किसने पैदा किए और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो मेरे ख्याल में पार्टिशन के दौरान भी नहीं हुआ। (---व्यवधान---) सुन लो। जो जे.एन.यू. में हुआ है, केवल जे.एन.यू. में ही नहीं दूसरी युनिवर्सिटीज में भी हुआ है। वहां जो एक दलित लड़के के साथ हुआ। जिस दिन से केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार आई है उस दिन से केवल एक सोच वाले व्यक्ति (---व्यवधान---) केवल एक सोच के व्यक्ति (---व्यवधान---) क्यों क्या हुआ? केवल एक सोच के व्यक्ति ही अपनी

29.2.2016/1740/av/ag/2

बात रख सकते हैं बाकियों की बात नहीं मानी जायेगी। (---व्यवधान---) अगर कोई बात नहीं मानेंगा तो उसके खिलाफ केस बनाये जायेंगे। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (---व्यवधान---) बैठ जाइए। जब आपकी बारी आयेगी तो आप इस पर बोल लेना। यह कोई बहस नहीं है, कल आप बोल लेना। अभी तो प्रस्ताव प्रस्तुत हो रहा है। जब आपकी बारी आयेगी तो आप बोल लेना।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, (***)

(*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।)**

श्री टी सी द्वारा जारी

29022016/1745/AG-TCV/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) --- जारी

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : आप जो मर्जी बोलिए । ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः यह प्रस्ताव प्रस्तुत हो रहा है। जब आपकी बारी आएगी तो आप इसका खण्डन करना और आप भी बोलना। ये आपसे बहस के लिए प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद आपकी बारी होगी। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। कल आप बोलें। आपका प्रिवलेज है, आप बोलें, खण्डन करना है तो खण्डन करें। This is no time for discussion. आप इसका कल जवाब देना. (Interruption) Let him speak. इनको बोलने दीजिए, ये प्रस्ताव कर रहे हैं। श्री जगजीवन पाल जी आप बोलिए Please wind up. ---(व्यवधान)----

मुख्य मंत्रीः आप सबको बोलने का हक है, लेकिन आप तो ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे जे0एन0यू0 में हुआ था।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आप वैसे हर मामले में कहते हैं कि मैटर सब-जूडिस है। (***) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उस पर चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। यहां पर बाहर के जो रिफ्रेंसिज़ दिए गए हैं, आप उनको पढ़ लें और उनको एक्सपंज करें। उसके बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चलती रहे।

अध्यक्षः मेरा निवेदन रहेगा कि इन्होंने यह रैफर किया है, यह कन्हैया पर कोई चर्चा नहीं कर रहे है। प्लीज, प्लीज । will expunge those remarks which are not proper. जो प्रोपर नहीं होगा हम उसको एक्सपंज करेंगे । will expunge those remarks which are not suitable. (Interruption). प्लीज़ बैठ जाईये। We will expunge that. (Interruption). जो इन-एप्रोप्रिएट होगा उसको हम एक्सपंज कर देंगे। We will expunge the remarks.

(*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।)**

29022016/1745/AG-TCV/2

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत नहीं कहा है। मैं वापिस नहीं लूंगा। आप पहले मेरी बात सुन लो। आपको भी समय मिलेगा। मेरा कोई गलत लफ़्ज होगा। आपने उसके खिलाफ़ बोलना। लेकिन मैंने जो कहा है, मैंने ठीक कहा है। आपकी बात जो नहीं मानेगा, आप उसको देशद्रोही कहेंगे, चाहे वह कोई भी है। सबको

आप यही बोलेंगे। मैं यही साबित करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप हर आदमी की जुबां दबा रहे हैं। आप हर नौजवान की आवाज़ दबा रहे हैं। आप हर बोलने वाले की आवाज दबा रहे हैं, जो आपकी भाषा में नहीं बोलता है। यही मैं बोल रहा हूं। मुझे आप रोक नहीं सकते--

श्री आर0के0एस0 द्वारा --- जारी

29.02.2016/1750/RKS/AS/1

श्री जगजीवन पाल(मुख्य संसदीय सचिव) क्रमागत...

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी-अपनी जगह नारेबाजी करते रहे)

मुझे आप रोक नहीं सकते, यह विधान सभा है।

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाईए। ....(व्यवधान)...

मुख्य संसदीय सचिवः जोर से मैं भी बोल सकता हूं। आप से जोर से भी मैं बोल सकता हूं। मैं बहस नहीं करूंगा। मैं बहस नहीं करूंगा।

अध्यक्ष : अच्छा बैठ जाईए। एक मिनट बैठ जाइए,एक सैकिंड बैठिए तो सही। बैठ जाइए प्लीज-बैठ जाइए प्लीज। प्लीज सिट डाऊन। बैठ जाइए। जगजीवन पाल जी आप संक्षेप में बोलिए, अभी आपने अनुसमर्थन भी करना है।

मुख्य संसदीय सचिवः मैं वाईंड-अप कर रहा हूं।

अध्यक्ष : आप वाईंड -अप कीजिए। जल्दी कीजिए।

मुख्य संसदीय सचिवः नो, नो मैं नहीं मान रहा हूं।...(व्यवधान)..

अध्यक्ष : सुनिए एक्सपंज कर देंगे...(व्यवधान)...

मुख्य संसदीय सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं वाईंड अप कर रहा हूं, लेकिन...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव करिए।

मुख्य संसदीय सचिवः अध्यक्ष महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो ...(व्यवधान)...मुझे अपनी बात...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए प्लीज। Let them finish. आप अपना फिनिश करो । आप बहस मत करो । आप अपना वाईंड-अप करो। प्लीज वाईंड अप। आप वाईंड-अप करो।

मुख्य संसदीय सचिवः वाईंड अप कर रहा हूं।

अध्यक्ष : वाईंड अप करो।

मुख्य संसदीय सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी के...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाओ। आप बैठ तो जाइए जरा बैठ तो जाइए। Please sit down. इनको वाईंड-अप करने दो। ...(व्यवधान)...यह बहस नहीं है। ये प्रस्ताव कर रहे हैं, इनको करने दो। बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए।

मुख्य संसदीय सचिवः अध्यक्ष महोदय, जब इनकी बारी आएगी, तब ये मेरे बारे में बोले लें। मैं वाईंड-अप कर रहा हूं।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव पूरा कीजिए। एक मिनट बैठ जाइए। भारद्वाज जी, आप क्या बोलना चाहते हैं। भारद्वाज जी।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव कर रहे हैं और हिमाचल के संदर्भ में जो राज्यपाल ने कहा है उस पर ये सरकार की प्रशंसा में कहना चाहते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये अभिभाषण की बात न करके सीधे जे.एन.यू में पहुंच गए, हरियाणा में पहुंच गए, हैदराबाद पर पहुंच गए हैं और अफजल गुरु जैसे नाम लेकर के यहां पर हंगामा कर रहे हैं तो ...(व्यवधान)... सर विपक्ष के नेता ने केवल यह कहा था जो आपत्तिजनक

जो इनके शब्द हैं, जो अभिभाषण से बाहर हैं उनको एक्सपंज कर दिया जाए। वे आप कार्यवाही से देख करके कर लें। अगर आप हमारे

29.02.2016/1750/RKS/AS/3

को यह आश्वासन देते हैं कि आप उन शब्दों को एक्सपंज करेंगे तो हम सदन में बैठेंगे, वरना हम इस सदन का बहिष्कार करेंगे। यह मैं चेतावनी दे रहा हूं।

अध्यक्ष : एक मिनट। प्लीज एक मिनट बैठिए। मैं सदन को यह कहना चाहता हूं कि जो इनएप्रोप्रिएट और अनुचित शब्द होंगे उनको एक्सपंज कर दिया जाएगा। लेकिन प्रस्ताव में बहस नहीं होती। इनको बोलने दीजिए। उसके बाद चाहे आप खण्डन कीजिए। आपकी बारी भी आएगी। आप वाईंड अप कीजिए। अगर अनुचित होगा तो मैं एक्सपंज करा दूंगा। इसके बाद एकदम एक्सपंज करा दूंगा। I will see the tape…….

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी....

29.02.2016/1755/SLS-AS-1

Speaker: I will see the tape. मैं टेप से देखकर एक्सपंज करवा दूंगा। जो अनुचित शब्द होंगे उनको एक्सपंज करेंगे लेकिन जो उचित होंगे उनको नहीं।

श्री जगजीवन पाल : जिन चीजों का असर प्रदेश पर होता है, उनका ज़िक्र करना मेरा फ़र्ज है।

अध्यक्ष : अब आप वाईंड अप कीजिए।

श्री जगजीवन पाल : मैं विधान सभा सदस्य हूं। मैंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने जो कहा है वह गलत नहीं कहा है। मुझे उसकी कोई शर्म नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई शब्द काटा जाए।

जहां तक अभिभाषण की बात है, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। एक चिंता की बात है। जो हमारे नौजवान के साथ डेढ़ सप्ताह पहले पहले हुआ और पीछे जो पठानकोट कांड हुआ, उसमें जो हमारे नौजवान मारे गए, जिनमें दो कैप्टन और एक नौजवान मारे गए, उनके लिए मुख्य मंत्री महोदय ने 5-5 लाख रुपया उनके परिवारों को...(व्यवधान)... सॉरी, 20-20 लाख रुपया उनके परिवारों को दिया; 5-5 लाख रुपया तो एडवांस में दिया गया था, ...(व्यवधान)... बाद में 20-20 लाख रुपया जो मुख्य मंत्री महोदय ने उन परिवारों को दिया...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : जो शहीद हुए उनके लिए आप हंस रहे हो? डूब मरो, यह शर्म की बात है।...(व्यवधान)...

श्री जगजीवन पाल : 20-20 लाख रुपया दिया है। ...(व्यवधान)...

29.02.2016/1755/SLS-AS-2

मुख्य मंत्री : अगर किसी के विपरीत विचार हों, उसको इनके द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। ...(व्यवधान)...यह डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि डैमोक्रेसी है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, 20 लाख रुपये दे रहे हैं इसका सबने स्वागत किया है। लेकिन जिस तरह का प्रिजैंटेशन माननीय सदस्य कर रहे थे कि 5-5 लाख रुपये दिए और बीच में किसी ने कह दिया कि 20 लाख रुपये दिए हैं तो इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपये एडवांस दिए थे, इनका जो स्टाइल बोलने का था उसके ऊपर हंसे हैं। 20 लाख रुपये को हर किसी ने ऐप्रीशियेट किया है। जो शहीद हुए हैं उनकी ऐप्रीशियेशन होनी ही चाहिए। लेकिन इस तरह की इनकी प्रिजैंटेशन के लिए मुख्य मंत्री विपक्ष के ऊपर गुस्सा हों जबकि उनके अपने मैंबर गलत हों तो यह बात गलत है।...(व्यवधान)... (श्री नीरज भारती जी से) आप आराम से बैठे रहो। ...(व्यवधान)...

Speaker : Jagjiwan Paul Ji please windup. आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए।

श्री जगजीवन पाल : जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं वह प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए पड़ोस में 3-4 राज्यों में क्या हो रहा है, इसके लिए मैंने चिंता व्यक्त की थी। वह चिंता का विषय है। ...(व्यवधान)...पड़ोस में क्या होता है, उसकी चिंता सबको होती है, करनी भी चाहिए। हमारे विपक्ष के साथी उसको कहीं और जोड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह अनुचित है। हमारे कई विपक्ष के साथ बड़े ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं। मैं इनका ज़िक्र ज़रूर करूंगा। नाहन के विधायक हमारे सीनियर सदस्य हैं। वह बड़े ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं जैसे हम इनके डर से बैठ जाएंगे। ज़ोर से बोलकर दबाने की कोशिश करते हैं कि हम बैठ जाएंगे। मैं आगे के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि इस भाषा का प्रयोग दोबारा न करें।

जारी... श्री गर्ग जी

29/02/2016/1800/RG/DC/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री जगजीवन पाल)----क्रमागत

पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में सर्वांगीण ऐतिहासिक विकास हुआ है, कोई कमी किसी क्षेत्र में नहीं रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों के निर्माण, पीने के पानी के क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं रही है। कहीं छोटी-मोटी बात हुई हो, लेकिन उसके बावजूद विकास हुआ है। तकनीकी शिक्षा, परिवहन आदि क्षेत्र में कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन जितनी सहायता हमें यू.पी.ए. सरकार की तरफ से मिलती थी उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं तो यह चाहूंगा कि अन्त में जब हमारे यहां विधान सभा का सत्र समाप्त होगा, उस समय हम सब एक प्रस्ताव पास करके दिल्ली सरकार को भेजें कि हमारा जो प्रोजैक्ट्स का पैसा कई जगह रह गया है, उसको तुरन्त भेजने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 25 फरवरी, 2016 को इस सदन को सम्बोधन करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं तथा उनके अभिभाषण का समर्थन करता हूं। मैं अपना प्रस्ताव पढ़ता हूं 'इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल

महोदय का, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को उन्हें सम्बोधन करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।' धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री अजय महाजन कल निर्धारित समय पर इसका अनुसमर्थन करेंगे और इस पर चर्चा जारी रहेगी।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 29 फरवरी, 2016 **सचिव।**